डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 सितम्बर, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 सितम्बर, 2022

| वर्ष 66 | अंक 07 | भोपाल | 1 सितम्बर, 2022 | पृष्ठ 20 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

## भारत में शीघ्र ही कॉरपोरेट खेती के स्थान पर को-ऑपरेटिव खेती : श्री शाह

### श्री शाह ने "सहकार से समृद्धि - 51 कहानियाँ" पुस्तक एवं " सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग-1 एवं 2" का विमोचन किया

### "सबको साख-सबका विकास" म.प्र. में सहकारिता का मूल मंत्र : मुख्यमंत्री श्री चौहान

**भारत के संस्कार में सहकार शामिल : केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर**

**केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह "कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका" पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल**

**भोपाल :** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में शीघ्र ही कॉरपोरेट खेती के स्थान पर कोऑपरेटिव खेती होगी। केन्द्र सरकार शीघ्र ही नई सहकारिता नीति ला रही है। देश में सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जायेगा। पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) को बहुउद्देशीय बनाया जायेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत सरकार आगामी एक माह में एक्सपोर्ट हाउस बनाने जा रही है। अमूल कुछ ही समय में देश में मिट्टी का परीक्षण एवं किसानों के उत्पाद का परीक्षण कर उन्हें जैविक प्रमाण-पत्र 'अमूल' के नाम से देगा। इससे किसानों को अपनी फसलों का अधिक मूल्य मिलेगा और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज भोपाल के होटल ताज में नाफेड द्वारा आयोजित "कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने "एक जिला-एक उत्पाद योजना" में मध्यप्रदेश के 11 जिलों के 11 उत्पादों के साथ देश के 6 अन्य राज्यों के उत्पादों का भी प्रमोशन किया। श्री शाह ने "सहकार से समृद्धि-51 कहानियाँ" पुस्तक एवं "सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग-1 एवं 2" का विमोचन भी किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के उद्देश्य से एक माह में मॉडल एक्ट लेकर आयेंगे, जो इन्हें मजबूत एवं बहुआयामी बनायेगा। हर पैक्स को एफपीओ बनने की योग्यता प्राप्त हो जायेगी। वे मार्केटिंग के साथ ही भण्डारण, परिवहन सहित 22 प्रकार की गतिविधियाँ कर सकेंगी। पैक्स से अपेक्स तक मजबूत मार्केटिंग व्यवस्था होगी।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में किसानों की आय को दोगुना करने के सराहनीय प्रयास हुए हैं। भारत दलहन एवं तिलहन को छोड़ कर अन्य उत्पादों में आत्म-निर्भर हो चुका है। किसानों को अच्छा एमएसपी मूल्य दिलवाया जा रहा है। ई-नाम पोर्टल से 2 करोड़ रूपये से अधिक का व्यापार हो चुका है। हमारा कृषि निर्यात 50 विलियन डालर को पार कर चुका है। अब सहकारी संस्थाएँ जेम पोर्टल से न केवल खरीदी कर सकेंगी, बल्कि उत्पादों को बेच भी सकेंगी।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि नाफेड किसान और सरकार के बीच में मजबूत कड़ी है, जो सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है। यह विपणन का शीर्ष संगठन है। नाफेड अपने कार्य को विस्तृत करे। ऐसी व्यवस्था हो कि निजी कम्पनियाँ भी नाफेड से उत्पाद खरीदें। मार्केटिंग की व्यवस्था से नाफेड आत्म-निर्भर बने।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "सबको साख-सबका विकास" मध्यप्रदेश में सहकारिता का मूल मंत्र है। इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। सहकारिता भारत की मिट्टी एवं जड़ों में है। सर्वे भवन्तु सुखिन:, वसुधैव कुटुम्बकम यह सभी हमारे मंत्र है, जो सहकार की भावना को व्यक्त करते हैं। भारत सहकारिता के इतिहास में 6 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जायेगा। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में पृथक सहकारिता मंत्रालय बनाया और श्री अमित शाह को इसकी बागडोर सौंपी। श्री अमित शाह ने सहकारिता को भारत में नई दिशा एवं गति दी है। उनके शब्दा कोष में असंभव शब्द नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में सहकारिता का इतिहास 118 वर्ष पुराना है। वर्ष 2012-13 से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। श्री अमित शाह ने फैसला किया है कि शीघ्र ही 3 लाख रूपये तक अल्पावधि फसल ऋण पर डेढ़ प्रतिशत अधिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। सरकार नई सहकारिता नीति बनाने जा रही है। प्रदेश में सहकारिता को स्व-रोजगार दिलाने का साधन बनाया जा रहा है। परम्परागत कारीगरों को सहकारी समिति के रूप में संगठित कर उनका कौशल संवर्धन किया जा रहा है।

सहकारिता कानूनों में बदलाव एवं सरलीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

केंद्रीय कृषि और किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत के संस्कार में सहकार शामिल है। जितना सहकार बढ़ेगा उतनी ही देश प्रगति करेगा औरदेश की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सहकारिता को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने भारत में पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया औरनाफेड को कर्ज से बाहर निकाला। इफको एवं अमूल दुनिया के सबसे बड़े सहकारिता संगठन है। सहकारिता से जुड़ कर हम स्वयं एवं भारत को आत्म-निर्भर बनाये।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि और किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीप जला कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। नाफेड के अध्यक्ष श्री बिजेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण दिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, म.प्र. के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंघानी, अध्यक्ष कृभको डॉ. चंद्रपाल सिंह सहित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।

# आजादी के अमृत काल तक दुनिया को दिशा देने वाली हो भारतीय कृषि : श्री तोमर

**नई दिल्ली ।** केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 'जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी आजादी के अमृत काल तक भारतीय कृषि सारी दुनिया को दिशा देने वाली होना चाहिए। अमृत काल में हिंदुस्तान की कृषि की विश्व प्रशंसा करे, यहां ज्ञान लेने आएं, ऐसा हमारा गौरव हों, विश्व कल्याण की भूमिका निर्वहन करने में भारत समर्थ हो'।

श्री तोमर ने यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला की समापन कड़ी में कही। यह श्रृंखला 17 मार्च 2021 को शुरू हुई थी और विभिन्न विषयों पर 75 व्याख्यान विशेषज्ञों, प्रख्यात वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, आध्यात्मिक नेताओं, प्रेरक वक्ताओं और सफल उद्यमियों द्वारा दिए गए।

प्रारंभ में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने स्वागत भाषण दिया। संचालन उप महानिदेशक डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने किया। आईसीएआर के पूर्व डीजी, डॉ. त्रिलोचन महापात्रा सहित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आईसीएआर के अधिकारियों, वरिष्ठ संकाय, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया।

# श्री रूपाला ने मछली पालन की सफलताओं पर पुस्तक का विमोचन किया

**नई दिल्ली :** राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा गत दिवस नई दिल्ली के एनएएससी परिसर के व्याख्यान कक्ष में शासी निकाय की 9वीं बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शासी निकाय के बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में डॉ. एल. मुरुगन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री और शासी निकाय के उपाध्यक्ष और डॉ. संजीव कुमार बालियान, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य, शासी निकाय के अन्य अधिकारी और नीति आयोग के सदस्य (कृषि) ने हिस्सा लिया। बैठक में श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, सचिव, मात्स्यिकी विभाग, प्रोफेसर रमेश चंद, नीति आयोग और अन्य विभागों के सचिव तथा विभिन्न राज्यों के नामित गैर-सरकारी शासी निकाय के 14 सदस्य भी शामिल हुए।

श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 75वें स्वतंत्रता दिवस – आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर एनएफडीबी द्वारा प्रकाशित "भारतीय मात्स्यिकी से सुपर सक्सेस स्टोरीज" पर पुस्तक का विमोचन किया। इसके अलावा आईसीएआर-सीआईएफए द्वारा विकसित ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर "एक्वा बाजार" ऐप को जारी किया। यह ऐप मछली पालकों के लिए आवश्यक सेवाएं और मछली के बीज, चारा, दवाओं जैसे इनपुट की प्राप्ति में मदद करेगा, साथ ही साथ इसमें किसानों द्वारा बिक्री के लिए टेबल आकार की मछली को सूचीबद्ध भी किया जा सकता है।

राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में झींगा पालन करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन राज्यों में जलीय कृषि विकसित की जाती है, तो वे झींगा उत्पादन में आंध्र प्रदेश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सचिव श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन ने मात्स्यिकी क्षेत्र में एनएफडीबी की भूमिका, और देश में मत्स्यपालन के विकास में इसके योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की।

डॉ. रमेश चंद, नीति आयोग के सदस्य (कृषि) ने कहा कि पिछले दशक से मत्स्यपालन क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत की दर से नियमित रूप से रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को चाहिए कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अनुसार आउटपुट और परिणामों को दिखाए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में लगभग 52 प्रतिशत योगदान देता है। उन्होंने कहा कि एक जिला, एक उत्पाद को बढ़ावा देना जरूरी है और मत्स्यपालन क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति की प्रौद्योगिकियों को लागू करना होगा।

# रोजगार और स्व-रोजगार राज्य शासन की प्राथमिकता – मुख्यमंत्री श्री चौहान

**कलस्टर निर्माण की प्रक्रिया को गति दें**

**खाद्य प्र-संस्करण और कृषि से संबंधित स्टार्टअप्स में हैं पर्याप्त संभावनाएँ**

**शासकीय विभागों के क्रय में राज्य में निर्मित सामग्री को प्राथमिकता दी जाए**

**मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा**

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शुरू होने वाले 17 कलस्टर्स निर्माण की प्रक्रिया एक माह में आरंभ की जाए। रोजगार और स्व-रोजगार राज्य शासन की प्राथमिकता है। फार्मा, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, फूड-प्रोसेसिंग और खिलौना निर्माण में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इन कलस्टर्स का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। औद्योगिक पार्कों के निर्माण की प्रक्रिया को भी गति दी जाए। साथ ही केवल रोजगार ही नहीं स्व-रोजगार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से युवाओं को जोड़ने के लिए सुविधाजनक वातावरण और युवाओं को आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्व-रोजगार योजनाओं में अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित करने के लिए पोर्टल अपग्रेडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। सभी जिला कलेक्टर प्रतिमाह होने वाले रोजगार दिवस में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय विभागों के क्रय में गुणवत्ता से समझोता किए बिना राज्य में निर्मित सामग्री को प्राथमिकता दी जाए। इससे राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए बेहतर इको सिस्टम विद्यमान है, खाद्य प्र-संस्करण और कृषि से संबंधित स्टार्टअप्स की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय से कार्य को गति दी जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना और मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति में निवेश पर सहायता जैसी योजनाओं का लाभ लेने में युवाओं को कोई समस्या नहीं आए।

जानकारी दी गई कि "एक जिला-एक उत्पाद" योजना में निर्मित सामग्री को ई-कॉमर्स कम्पनियों के साथ जोड़ने की दिशा में वॉलमार्ट वृद्धि के साथ एम.ओ.यू. किया जा चुका है। हेमलेज, फर्स्ट क्राय आदि से भी बातचीत जारी है।

# किसानों को उनकी फसल का पूरा पूरा लाभ दिलाने के लिए सरकार कृत- संकल्पित : कृषि मंत्री श्री पटेल

## सिवनी-मालवा में मूंग खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

## समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी से प्रसन्न किसानों ने माना आभार

**भोपाल :** किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल का पूरा-पूरा लाभ दिलाने के लिए कृत-संकल्पित है। मंगलवार को मंत्री श्री पटेल ने सिवनी-मालवा जिले के ग्राम हरपालपुर के वेयर हाउस खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मूंग तुलाई का भी अवलोकन लिया। मंत्री श्री पटेल ने केंद्र पर उपज बेचने आए किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की पड़ताल भी की। किसानों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कृषि मंत्री श्री पटेल का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए आभार व्यक्त किया।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में किसानों को आवश्यक सुविधाओं के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7275 रूपए के समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने से किसान भाई बहुत खुश हैं। उन्हें लगभग 2 हजार रूपए क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रीष्मकालीन मूंग के अतिरिक्त चना, मसूर एवं सरसों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। किसानों को उनकी मेहनत का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है।

### ग्राम गाडरिया में मिर्ची एवं सोयाबीन की फसल का निरीक्षण

ग्राम हरपालपुर के निरीक्षण के बाद कृषि मंत्री श्री पटेल ने ग्राम में आधुनिक कृषि तकनीकों के जरिए खेती कर रहे किसानों की मिर्ची एवं सोयाबीन की फसल का अवलोकन भी किया। उन्होंने किसानों से चर्चा कर आश्वस्त किया कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

### किसान हितैषी नीतियों से किसानों को हो रहा है लाभ

कृषक श्री जितेंद्र चौहान ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी एवं किसान हितैषी नीतियों के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पूर्व में ग्रीष्मकालीन मूंग मात्र 5 से 5 हजार 500 रूपए तक बिकने से किसानों को नुकसान हो रहा था। सरकार द्वारा 7275 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने से किसानों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। किसान बहुत खुश हैं क्योंकि मूंग फसल के लिए नहरों में पर्याप्त पानी देना हो या फसल बीमा क्लेम की राशि, किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं।

# जल जीवन मिशन में 26 माह में पहुँचा 52 लाख घरों में जल

**भोपाल :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का देश की ग्रामीण आबादी के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐसा वरदान है जो इनकी पेयजल की कठिनाइयों को पूरी तरह दूर कर देगा। आजादी के बाद श्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ग्रामीण परिवारों की पेयजल व्यवस्था की बड़ी कठिनाई को समझा, उस पर गंभीरता से चिंतन किया और निदान के लिये जल जीवन मिशन को मूर्तरूप दिया।

जल जीवन के लिए जरूरी है। सर्दी, गर्मी अथवा वर्षा का प्रभाव झेलकर भी पेयजल की व्यवस्था करना इंसानी मजबूरी है। हम सभी ने देखा है कि ग्रामीण परिवारों में पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर रहती है। नदी, तालाब, कुआँ, पोखर, हैण्डपंप जैसे पानी के स्रोत कितनी भी दूर हों लेकिन पानी लाने का काम माँ, बहन और बेटियों को ही करना होता है। इन्हें अब मिशन के जरिये घर पर ही नल से जल मिलना शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मिशन में कार्य प्रारंभ करवायें। निरन्तर प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर और कार्यों को शीघ्र पूरा कर ग्रामीणों तक सुविधा पहुँचाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सतत मार्ग दर्शन के परिणाम स्वरूपमध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन से बुरहानपुर हर घर जल सर्टिफाइड जिला घोषित हो चुका है। इस श्रेणी में बुरहानपुर को देश में पहला जिला होने का गौरव हासिल हुआ है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया है। प्रदेश में भी एक करोड़ 22 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मिशन के अंतर्गत विधिवत कार्य मई 2020 में प्रारंभ किए गए थे। कोविड-19 के प्रभाव और दो वर्षाकाल के बावजूद भी मिशन में तीव्र गति से हो रहे कार्यों के चलते ग्रामीण आबादी को नल से जल उपलब्ध करवाने की ओर मध्यप्रदेश

अग्रसर है। अब बुरहानपुर जिले के समस्त 254 ग्रामों के परिवार प्रतिदिन अपने घर में नल कनेक्शन से जल प्राप्त कर रहे हैं।

जल जीवन मिशन में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में एकल तथा समूह जल-प्रदाय योजनाओं से 20 लाख से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन लगाये जाने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश की 43 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी अब जल जीवन मिशन से लाभान्वित होकर घर पर ही नल से जल प्राप्त कर रही है। मिशन में 51 लाख 81 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया कराया जा चुका है। संकल्प पूर्ति की ओर यह निरन्तर बढ़ते कदम है। अब तक प्रदेश के 5521 गाँवों में शत प्रतिशत परिवारों को हर घर जल उपलब्ध हो रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मात्रा में शासन की नीति एवं निर्देशों के अनुरूप पेयजल प्रदाय हेतु नल-जल योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, हैंडपंप स्थापना एवं उनके संधारण, पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी एवं अनुश्रवण सहित सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन निरंतर कर रहा है। पेयजल स्त्रोतों का प्रारंभिक गुणवत्ता परीक्षण पंचायत स्तर पर ही किया जाता है। पंचायत स्तर पर चयनित स्थानीय व्यक्तियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। जल गुणवत्ता परीक्षण के लिये प्रदेश में भोपाल मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला तथा 51 जिलों में जिला पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला और अतिरिक्त 103 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत पर आधारित समूह जल-प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल निगम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा गुणवत्तापूर्ण पेयजल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, उद्योगों को रॉ वाटर उपलब्ध कराना तथा तरल अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन आदि कार्य किये जाते हैं। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा सतही स्त्रोत पर आधारित 25 समूह जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण कर 995 ग्रामों में 2 लाख 2 हजार घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में जल निगम के माध्यम से 14 हजार 248 करोड़ रूपये की 44 समूह जल- प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है, जिनसे 19 लाख 17 हजार घरेलू नल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 47 समूह जल-प्रदाय योजनाओं की निविदा/अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनके क्रियान्वयन से 15 हजार 463 ग्राम लाभान्वित होंगे।

# संभावनाओं की पहचान कर नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनायें : कलेक्टर

## जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक एवं कार्यशाला

**सतना :** कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में सहकारी आंदोलन के विकास और विस्तार के लिए विशिष्ट और नए क्षेत्रों, सेक्टरों में संभावनाओं की पहचान कर सहकारी समितियां गठित की जाएं। इसके साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में नई समितियों का गठन करने के साथ पुरानी और पूर्व गठित निष्क्रिय समितियों को भी सक्रिय करें, ताकि लोगों को समिति बनाने की प्रेरणा मिले। कलेक्टर श्री वर्मा सहकारी आंदोलन के विस्तार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों, सेक्टरों की पहचान की जिला स्तरीय कोर कमेटी की प्रथम बैठक और कार्यशाला को संबोधित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, उप पंजीयक सहकारिता के पाटनकर, उप संचालक कृषि केसी अहिरवार, उपसंचालक पशुपालन डॉ प्रमोद शर्मा, उप संचालक उद्यानिकी एनएस कुशवाहा, सहकारिता अधिकारी देवराज सिंह, प्रभाकरण, विशेषज्ञ श्री चतुर्वेदी, विश्वनाथ तिवारी भी उपस्थित थे। जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में जिले की अकार्यशील सहकारी समितियों को पुनः सक्रिय करें। ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में स्व-सहायता समूह और कृषकों, रोजगार शिल्पी श्रमिकों को जोड़कर डेयरी, उद्यानिकी, पुष्प खेती, मतस्य पालन एवं कुटीर उद्योग की दिशा में और भी बेहतर कार्य किया जा सकता है। सहकारिता विस्तार अधिकारी देवराज सिंह ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में जिले में कुल 1050 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा और घोषणा के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में कृषि प्र-संस्करण, ग्रामीण परिवहन, पर्यटन, खनिज, श्रम सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाश कर सहकारिता को बढ़ावा देने जिला स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया गया है।

सतना जिले में अब तक नए क्षेत्रों में कुल 92 सहकारी समितियां पंजीकृत हुई है। जिनमें 35 कार्यशील और 57 अकार्यशील हैं। इनमें पर्यटन की 2, ग्रामीण औद्योगिक 17, खनिज 5 और मत्स्य की 68 समितियां पंजीकृत हैं। जिले में ग्रामीण परिवहन सहकारी समिति, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति, सुरक्षा सहकारी समिति, सेवा क्षेत्र, पर्यटन सहकारी समिति, जैविक कृषि उद्यानिकी पुष्प फल साग सब्जी समिति, औषधि विक्रय एवं चिकित्सा सेवाएं, ग्रामीण औद्योगिक सहकारी समिति, श्रमिक सेवा प्रदाता सहकारी समिति, बहुउद्देशीय आजीविका सहकारी समिति के क्षेत्र में संबंधित विभागों के प्रेरकत्व एवं दिशा-निर्देशन में सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। विकासखंड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में सीईओ जनपद पंचायत के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन कर नए क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।

# नवीन क्षेत्रों में सहकारी सोसायटियों के गठन हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन

बडवानी : ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, मत्स्य, स्वास्थ्य, कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन करने तथा सेवा क्षेत्र में सहाकरिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारी सोसायटियों का गठन करने की कार्ययोजना बनाई है। अतः हम सभी उक्त क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देकर जिले में सभी क्षेत्रों में समितियों का गठन कर लोगों के आपसी समन्वय से बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकते है।

क्योकि बिना सहयोग के सहकारिता कार्य नहीं कर सकता है। लोकसभा सांसद श्री गजेन्द्रसिंह पटेल ने उक्त बाते कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में नवीन सहकारी समितियों के गठन हेतु आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर, एआरसीएस श्री सुरेश सांवले सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, सहकारिता विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन हेतु जिला स्तरीय कोर कमेटी का गठन कर लिया गया है।

उन्होने बताया कि ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, मत्स्य, स्वास्थ्य, कृषि प्रसंस्करण ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में सहकारी संस्था बनाने हेतु भिन्न-भिन्न परिवार के न्यूनतम 21 सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष हो, के साथ सहकारी समितियों का गठन किया जा सकेगा। इस हेतु समिति को आनलाईन रजिस्टे्रशन कराना होगा, रजिस्टे्रशन के साथ न्यूनतम अंशपूंजी तथा प्रवेश शुल्क की निर्धारित राशि देना होगी। उन्होने बताया कि श्रम सहकारी समिति असंगठित श्रमिको के लिए, पर्यटन सहकारी समिति पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण परिवहन सहकारी समिति परिवहन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवहन रूट पर आवागमन सुविधा के लिए, सर्विस सेक्टर की सहकारी समिति कम्प्यूटर एवं तकनीकी क्षेत्रो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, स्वास्थ्य सहकारी समिति उत्तम चिकित्सा सेवा के लिए, मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मछली पालन, तालाब के पट्टे, सदस्यो के हितों के लिए, ग्रामीण औद्योगिक सहकारी समिति ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेगी।

कार्यशाला के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने एआरसीएस श्री सुरेश सांवले को निर्देशित किया कि समिति के पंजीयन एवं कार्य क्षेत्र के लिए वे समिति बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को गाइड करे एवं साथ ही उन्हे यह भी बताये कि समिति का निर्माण करके न बैठे, बल्कि जिस क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है, उस क्षेत्र में कार्य भी करे।

कार्यशाला के दौरान एआरसीएस श्री सुरेश सांवले ने बताया कि सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 09 के तहत श्रम सहकारी समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर, पर्यटन सहकारी समिति का गठन जिला स्तर पर, ग्रामीण परिवहन सहकारी समिति का गठन तहसील स्तर पर, सर्विस सेक्टर सहकारी समिति का गठन विकासखण्ड स्तर पर, स्वास्थ्य सेवा सहकारी समिति का गठन विकासखण्ड स्तर पर, मत्स्य सहकारी समिति का गठन ग्राम पंचायत/तालाब क्षेत्र स्तर पर, ग्रामीण औद्योगिक सहकारी समिति का गठन ग्राम पंचायत/तहसील स्तर पर किया जायेगा।

# सहकारिता में नवाचार विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न

धार : सहकारिता विभाग एंव जिला सहकारी संघ मर्यादित व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धार के संयुक्त तत्वाधान में सहकारिता में नवाचार विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त सहकारिता श्री परमानंद गोडरीया ने बताया कि कृषि विभाग, पशु पालन, व्यापार एंव उघोग, मत्स्य पालन, खाद आपुर्ति, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों, सहकारिता विस्तार अधिकारियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सहकारिता से जुडे सामाजिक कार्यकर्ता, कृषकगण व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

# नए क्षेत्रों मे होगा सहकारी सोसायटी का गठन

झाबुआ : जिलें में नवीन क्षेत्रों मे सहकारी सोसायटियों का गठन होगा। इनमें ग्रामीण-परिवहन, खनिज सहित घरेलू सेवा क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनाई जाएगी। इसके विस्तार के लिए जिला स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की पहली बैठक कलेक्टर सोमेष मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 22 अगस्त को संपन्न हुई। कोर कमेटी द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विस्तार हेतु गतिविधियों का चिन्हांकन करने और उसके आधार पर सहकारी समितियों के गठन पर विचार किया गया। ऐसे नवीन क्षेत्रों के अन्तर्गत नवीन ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, सूचना प्रोद्योगिकी, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि नये क्षेत्रों मे सहकारिता को प्रोत्साहन देना शामिल है। बैठक मे कमेटी अध्यक्ष एवं कलेक्टर ने यह सुझाव दिया कि सी.एम. राईज स्कूल की बुनियादी व्यवस्थाओं एवं प्रबंधक हेतु भी सहकारिता के माध्यम से नवाचार किए जाने की कार्ययोजना बनाई जाए। यह भी चर्चा हुई कि जन चिकित्सा एवं औषधियों की उपलब्धता जैसे विषयों पर भी सहकारी सोसायटियाँ बनाने पर विचार किया जाए ताकि जैनेरिक दवाएं न्यूनतम दर पर उपलब्ध हो सकें। आयोजित बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अपर कलेक्टर एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी सहित समस्त विकास विभागो के जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

# टारगेट नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देकर करें कार्य- कलेक्टर, सहकारिता विभाग की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

कटनी - सहकारिता विभाग अंतर्गत नई सोसायटियों के गठन को लेकर कोर कमेटी की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में नवीन सोसायटियों के गठन की नीति की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले जिले के उन पांच क्षेत्रों का चयन करें, जहां पर सोसायटियों के गठन की संभावना हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व के सिस्टम को मजबूत करें और नवीन कार्य अच्छा हो, इसपर ध्यान दें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि टारगेट नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देकर कार्य करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि जिले में जैविक उत्पाद, उद्यानिकी, पुष्प, सब्जी आदि के क्षेत्र में संभावनाएं देखने के लिए अधिकारी फील्ड का भ्रमण करें और जिन क्षेत्रों में बेहतर काम हो सकता हो, उसपर फोकस करते हुए आगे की रूपरेखा तैयार की जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि कोर कमेटी में तीन विशेषज्ञों को शामिल करना है, इसके लिए जिले या बाहर से जो एक्सपर्ट हैं, उनको शामिल करने का प्रयास करें ताकि उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए बेहतर कार्य किया जा सके। उन्होंने सोसाटियों का गठन कर गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप आदि का संचालन कर्मचारी संघों के माध्यम से कराते हुए राशि का उपयोग वेलफेयर में करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सहकारिता विभाग के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग, परिवहन विभाग, पशु चिकित्सा, कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

# सहकारिता विभाग की कोर कमेटी की बैठक सम्पन्न

हरदा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सहकारी सोसायटी के गठन के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नवीन सहकारी समितियों के गठन हेतु जिला कोर कमेटी के सभी अधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने की। इस दौरान सहायक आयुक्त सहकारिता श्री बासुदेव भदोरिया ने बताया कि श्रम, पर्यटन, खनिज, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास जैसे कुछ नये क्षेत्रों में औद्योगिक समितियों के गठन की व्यापक संभावनाएं है। समितियों को इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। श्री भदोरिया ने बताया कि इन समितियों के सदस्य समितियों के माध्यम से स्वरोजगार जैसी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ सकते है।

# नये क्षेत्रों में सहकारी समिति के गठन को लेकर कोर कमेटी की हुई बैठक

प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि नये क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने नवीन क्षेत्र में सहकारी सोसायटी का गठन किया जाना है।

बालाघाट : नये क्षेत्रों में सहकारी समिति के गठन को लेकर कोर कमेटी की हुई बैठकप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि नये क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने नवीन क्षेत्र में सहकारी सोसायटी का गठन किया जाना है। इसी तारतम्य में आज 22 अगस्त 2022 को दोपहर 02 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक का आयोजन कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में बालाघाट जिले में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन की संभावनाओ को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में एसडीएम श्री संदीप सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आयुषी जैन भी उपस्थित थी।कलेक्टर डॉ मिश्रा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन किया जाये। इसमें खनिज, श्रम, मत्स्य, उद्यानिकी, आजीविका मिशन के समूह, राईस मिलर्स एवं अन्य क्षेत्र के लोगों को मिलाकर सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। मत्स्योद्योग विभाग झींगा उत्पादन को लेकर सहकारी समिति गठित कर सकता है। उन्होंने सहकारिता निरीक्षकों को एक-एक क्षेत्र आबंटित कर उसमें एक-एक सहकारिता समिति गठित करने का लक्ष्य देने के निर्देश दिये।बैठक में उपायुक्त सहकारिता श्रीमती अंजुली धुर्वे ने कहा कि नये क्षेत्र में सहकारी सोसायटी का गठन किया जाना है। बालाघाट जिले में विभिन्न समितियों का गठन किया जा सकता है, यहाँ इस क्षेत्र में अपार सभावना है। इस अवसर पर राजीव सोनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएसके बैंक बालाघाट, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उप संचालक मत्स्योद्योग, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी, प्रबंधक जिला सहकारी संघ, जिला खनिज अधिकारी, पी. जोशी जेएसके बैंक, अमरेश परिहार, अजय सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। इस दौरान अभय कोचर पर्यटन क्षेत्र, सुलभ कटरे कृषि क्षेत्र, अंकित उपाध्याय खनिज क्षेत्र, रामप्रसाद राउत द्वारा मछुआ क्षेत्र के सबन्ध में जानकारी से अवगत कराया गया।

# सहकारिता से संबंधित बैठक आयोजित

मंडला : कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में सहकारिता एवं इससे जुड़े विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सहकारिता, नाबार्ड एवं संबंधित विभागों की योजनाओं की अलग-अलग बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने सहकारिता विभाग को निर्देशित किया कि सहकारी सोसायटियों के सदस्यों के माध्यम से जिले में पर्यटन विकास, ग्रामीण परिवहन आदि के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जाए। इसी प्रकार सहकारिता के अंतर्गत कम्यूनिटी रेडियो, जन औषधि केन्द्र आदि के संबंध में भी आवश्यक चर्चा की गई। कलेक्टर ने बैठक में संबंधित विभागों से उनके बजट, ऋण स्वीकृति की प्रतिक्रिया, रिकवरी, ऑडिट आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एआरसीएस को कोर कमेटियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी दिनों में कार्यशाला भी आयोजित करने की बात कही। श्रीमती सिंह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र को विस्तारित करने की आवश्यकता है। बैठक में सहकारिता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

# अब नवीन क्षेत्रो में सहकारी समितियो का गठन किया जायेगा

## सहकारी नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

**शाजापुर :** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के 27 मार्च 2022 को की गयी घोषणा, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने 15 अगस्त 2022 के संदेश में भी किया है, के क्रियान्वयन के लिए शाजापुर जिले में ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग जन औषधि केन्द्र संचालन आदि नये क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। सहकारिता के विकास तथा विस्तार एवं नवीन क्षेत्रो में सहकारी समितियों के गठन के संबंध में कलेक्टर श्री दिनेश जैन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवनारायण पाटीदार, उपायुक्त सहकारिता श्री मनोज गुप्ता, पूर्व संचालक श्री ज्ञानसिंह, उपसंचालक उद्यानिकी श्री मनीष चौहान, कृषि श्री केएस यादव तथा पशु चिकित्सा सेवा डॉ. एके सिंह, जिला परिहवहन अधिकारी श्री एपी श्रीवास्तव, आपूर्ति विभाग से श्री अजय खराड़िया, सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री चन्द्रकांत भिसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री केके रायकवार, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एचएल वर्मा, डीपीएम एनआरएलएम श्रीमती प्रतिभा जैन भी उपस्थित थी।

बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने सहकारिता नीति 2022 के अनुसार सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने विभाग से संबंधित समितियों का गठन करें। कलेक्टर ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश उपायुक्त सहकारिता को दिये। ग्रामीण परिवहन के संबंध में कलेक्टर ने समितियां गठित कर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे वाहनों के संचालन करने के निर्देश दिये। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन नीति के अनुसार ऐसे मार्ग जिनपर पूर्व से सार्वजनिक परिवहन के वाहन संचालित हैं, पर मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तक ही छोटे वाहन संचालित हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मार्ग जहां परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है पर कितनी भी दूरी हो वहां वाहनों का संचालन किया जा सकता है।

कलेक्टर ने ग्रामीण परिवहन के लिए चारों विकासखण्डों में एक-एक समिति गठित कर वाहनों के संचालन एवं रूट निर्धारण करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियो को निर्देश दिये कि 15 दिवस में प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम एक-एक सहकारी संस्था गठित करें। जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वे आगामी 15 दिवस में कम से कम 50 सहकारी समितियो का पंजीयन करायेगी। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित सहकारी क्षेत्र के श्री पाटीदार एवं श्री ज्ञानसिंह से सहकारिता के विकास के संबंध में चर्चा भी की।

उपायुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि सहकारिता नीति के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण आद्योगिक सहकारी समिति का गठन किया जाना है। इसी तरह कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवीन सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के निर्देश सहकारी नीति में शामिल है। खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, सूचना प्रोद्योगिकी, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि नए क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाना है। इन क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए महासंघ भी गठित किया जायेगा। उपायुक्त श्री गुप्ता ने सहकारी नीति में जिले के अन्य अधिकारियो जैसे जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, श्रम पदाधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिको को भी कोर ग्रुप में शामिल करने का सुझाव दिया जिसे कोर ग्रुप की बैठक में अनुमोदित किया गया। नवीन क्षेत्रो में जिले में सहकारी समिति बनाने के इच्छुक नागरिक icmis.mp.gov.in पोर्टल पर सरल पंजीयन प्रक्रिया का पालन कर अपनी समिति ऑन लाईन पंजीकृत करवा सकते है सहकारिता विभाग में पंजीयन पूर्णतः ऑनलाईन है।

### कोर ग्रुप का गठन

सहकारिता नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री दिनेश जैन की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप में उपायुक्त सहकारिता को सदस्य सचिव तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रशासक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री शिवनारायण पाटीदार तथा सीसीबी पूर्व संचालक व सहकारी नेता श्री ज्ञानसिंह, जिला परियोजना प्रबंधक एन.आर.एल.एम., उप संचालक उद्यानिकी, कृषि एवं पशुपालन, जिला परिवहन अधिकारी, सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीसीबी, जिला सहकारी संघ के प्रतिनिधि तथा उद्योग को सदस्य बनाया गया है।

# सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में होगा रोजगार सृजन-कलेक्टर

**ग्रामीण परिवहन, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में होगा सहकारी समितियों का गठन कलेक्टर श्री शुक्ला की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग से संबंधित सहकारी संस्थाओं की समीक्षा बैठक संपन्न**

**देवास :** सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु विभागवार गतिविधियों/कार्यक्षेत्र के चिन्हांकन एवं उक्त कार्य में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक विपणन सहकारी संस्था मर्यादित सोनकच्छ के अध्यक्ष श्री बहादुरसिंह पिलवानी, अपर कलेक्टर श्री महेन्द्रसिंह कवचे, उपआयुक्त सहकारिता श्री महेन्द्र दीक्षित, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं तेजस्वनी महिला बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्यादित देवास की अध्यक्ष श्रीमती रितु व्यास सहित अन्य जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग आऊट सोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर उक्त कार्य हेतु प्रत्येक विभाग न्यूनतम एक सहकारी समिति के गठन की कार्यवाही आगामी एक माह में करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक कृषि, उप संचालक उद्यानिकी, महाप्रबंधक उद्योग विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को उनके विभाग में संचालित योजनाओं में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देकर संस्थाओं के पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सहकारिता के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु नवीन क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं कार्यवाही के लिए जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचांयत को भी निर्देश दिए। कोर ग्रुप की बैठक मासिक आधार पर आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप आयुक्त सहकारिता श्री महेन्द्र दीक्षित ने ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन ,श्रम, सर्विस सेक्टर, जैविक, कृषि उत्पादों का उत्पादन एवं वितरण तथा जन औषधी केन्दों के संचालन आदि के क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन एवं लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सहकारी समितियों के गठन एवं पंजीयन के संबध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड श्री अविनाश तिवारी ने सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थाओं हेतु नाबार्ड के स्तर से प्रशिक्षण, दक्षता विकास एवं इकाई स्थापना हेतु केपिटल ग्रांट हेतु नाबार्ड की योजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया।

उप आयुक्त सहकारिता ने बताया कि सहकारिता नीति के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण औद्यौगिक सहकारी समिति का गठन किया जाना है। इसी तरह कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवीन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के निर्देश सहकारी नीति में शामिल है। खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, सूचना प्रद्योगिकी, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि नए क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य योजना बनाई जाना है। इन क्षेत्रों में सहकारिता को बढावा देने के लिये प्रदेश स्तर पर महासंघ का गठन भी किया जाना प्रस्तावित है। नवीन क्षेत्रों में जिले में सहकारी समिति बनाने हेतु इच्छुक नागरिक सहकारिता विभाग के पोर्टल (पबउपे) पर सरल पंजीयन प्रक्रिया का पालन कर अपनी समिति ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते है। सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों का पंजीयन पूर्णतः आनलाईन है।

### कोर ग्रुप का गठन

उप आयुक्त सहकारिता ने बताया कि नवीन क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु कलेक्टर श्री शुक्ला की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप में उप

आयुक्त सहकारिता को सदस्य सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, प्रशासक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, उप संचालक कृषि, उप संचालक उद्यानिकी, सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला आपूर्ति अधिकारी, उप संचालक पशुपालन विभाग, जिला परिवहन अधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग विभाग, प्रतिनिधि जिला सहकारी संघ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं सहकारिता से जुडे जनप्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

## नवीन क्षेत्रों में सहकारी समिति गठित कर रोजगार सृजन करने के अधिकारियों को दिए गए निर्देश

**सिवनी :** जिले में नवीन क्षेत्रों में सहकारी सोसायटी के गठन एवं विस्तार को लेकर कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल, उपायुक्त सहकारिता अखिल निगम सहित कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, खाद्य तथा उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा जिले में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से नवीन गतिविधियों के चिन्हांकन तथा अधिक से अधिक संख्या में सहकारी समितियों के गठन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने जिले में पर्यटन, उद्यानिकी, कृषि, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र, निजी सुरक्षा एजेंसी तथा सूचना प्रौधोगिकी के क्षेत्र में सहकारी समितियों के गठन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को ऐसे कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सहकारी समिति गठित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिकतम रोजगार सृजन हो सके।

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार (म.प्र.)
## स्थिति विवरण पत्रक 31.03.2022 पर

| गतवर्ष की रकम | पूंजी तथा देनदारिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,000,000,000.00 | 1. अंशपूंजी | | 1,000,000,000.00 |
| | 2. अधिकृत पूंजी | | |
| | (अ) वर्ग रू. 1000 प्रति अंश | 1,000,000.00 | |
| | (ब) वर्ग रू. 1000 प्रति अंश | - | |
| | (स) वर्ग रू.100प्रति अंश | - | |
| | (द) वर्ग रू. 100प्रति अंश | - | |
| 1,000,000,000.00 | 3. अभिदत्त अशंपूंजी | | 1,000,000,000.00 |
| | 4. प्रदत्त अंशपूंजी | | |
| 577,553,060.00 | 2.सहकारी समिति 543518 प्रतिअंश 1000 | 602,075,060.00 | |
| - | 3. अंशो में प्रति अंश 1000 | 0.00 | |
| 53,342.00 | 4.अंशो में प्रति नाममात्र सदस्य अंश 496 रू 100 | 53,342.00 | |
| 15,241,653.00 | 5. अन्य अंश एनसीडीसी (आईसीडीपी) | 6,052,545.00 | |
| | | **608,180,947.00** | |
| **774,936,775.00** | **5. उक्त में से धारित** | | **790,269,667.00** |
| 577,553,060.00 | (1)सहकारी समिति 543518 प्रतिअंश 1000 | 602,075,060.00 | |
| 0.00 | (2) अंशो में प्रति अंश 1000 | 0.00 | |
| 53,342.00 | (3)अंशो में प्रति नाममात्र सदस्य अंश 496 रू 100 | 53,342.00 | |
| 15,241,653.00 | (4) अन्य अंश एनसीडीसी (आईसीडीपी) | 6,052,545.00 | |
| 182,088,720.00 | (5). शासन अंश सहायता | 182,088,720.00 | |
| **1,064,038,475.12** | **2) रक्षित कोष अन्य निधिया** | | **1,097,161,107.80** |
| 84,572,985.24 | रक्षित कोष सहकारी संस्था | 92,392,127.24 | |
| 785,300.00 | रक्षित कोष शासन से | 785,300.00 | |
| 871,898.70 | विशेष डुबन्त ऋण एव संदिग्ध ऋण पूति कोष से | 871,898.70 | |
| 62,842,284.00 | कृषि साख स्थायित्व निधि कोष | 69,492,302.00 | |
| 8,193.63 | सहकारी भण्डार रख रखाव निधि कोष | 8,193.63 | |
| 507,510,220.00 | संदिग्ध एवं डुबन्त ऋण कोष | 507,510,220.00 | |
| 22,827,000.00 | मानक अस्तियों हेतु प्रावधान | 22,827,000.00 | |
| 110,499,000.00 | संस्पेंस प्रावधान | 110,499,000.00 | |
| 23,109,000.00 | अन्य अस्तियो हेतु प्रावधान | 23,109,000.00 | |
| 9,316,000.00 | फ्राड प्रावधान | 9,316,000.00 | |
| 60,330.53 | विनियोग अवमूल्यन कोष | 60,330.53 | |
| 15,116,271.40 | कम्प्युटर कोष | 15,116,271.40 | |
| 12,440,342.00 | अंश विमोचन निधि | 18,695,655.00 | |
| 4,696,556.00 | प्रशिक्षण निधि | 4,217,670.00 | |
| 35,089,535.20 | ऋण असंतुलन कोष | 45,089,535.20 | |

| गतवर्ष की रकम | सम्पत्तिया तथा अस्तिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **433,164,622.00** | 1. रोकड तिजोरी | | **1,368,659,839.00** |
| **498,900,449.52** | **(म.प्र. राज्य सह. बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं नोटीफाईड बैंक)** | | **597,163,119.97** |
| 45,729,989.28 | 1. करण्ट अकॉ0 अपेक्स बैंक इन्दौर | 19,900,676.24 | |
| 170,852.98 | 2. करण्ट अकॉ0 अपेक्स बैंक शाखा भोपाल | 170,870.68 | |
| 29,839,147.64 | 3. करण्ट अकॉ0 अपेक्स बैंक भोपाल | 149,963,659.83 | |
| 21,368,765.35 | 4. करण्ट अकॉ0 भारतीय स्टेट बैंक | 28,012,593.65 | |
| 2,497,021.24 | 5. भारतीय स्टेट बैंक रघुनाथपुरा | 957,170.12 | |
| 782,267.70 | 6. भारतीय स्टेट बैंक सीएसजीएल | 6,553,772.52 | |
| 422,593.26 | 7. कंरट खाता बैंक ऑफ इंडिया | 25,082,633.14 | |
| 394,527,510.51 | 8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 342,769,397.03 | |
| 2,175,061.30 | 9. बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 22,365,106.50 | |
| 99,782.00 | 10. बैंक आफ बडोदा | 99,782.00 | |
| 1,287,458.26 | 11. कंरट खाता पंजाब नेशनल बैंक | 1,287,458.26 | |
| **168,279,648.13** | **(अन्य बैंक मं )** | | **527,254,597.18** |
| 657,548.58 | 1. करण्ट अकॉ0 एक्सिस बैंक | 2,044,684.30 | |
| 28,151,327.80 | 2. करण्ट अकॉ0 आईसीआईसीआई बैंक | 158,314,418.77 | |
| 517,347.25 | 3. करण्ट अकॉ0 एच डी एफ सी बैंक | 80,511,294.36 | |
| 71,530,293.37 | 4. करण्ट अकॉ0 आईडीबीआई बैंक | 129,857,612.25 | |
| 20,474,823.41 | 5. करण्ट अकॉ0 आईडीबीआई सी टी एस क्लेरिंग | 42,726,429.45 | |
| 2,530,374.85 | 6. करण्ट खाता अन्य बैंक (स्टेट बैंक) | 1,431,732.40 | |
| 30,909,619.23 | 7. कंरट खाता आय सी आय सी आय आय एम पी एस | 50,583,654.71 | |
| 13,205,413.64 | 8. कंरट खाता आय सी आय सी आय ए टी एम | 56,240,270.94 | |
| 302,900.00 | 9. क्लेम फार लोरो | 5,544,500.00 | |
| **1,630,098,994.00** | **(सावधि जमा म.प्र. राज्य सह. बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं नोटीफाईड बैंक)** | | **1,817,057,709.00** |
| 1,234,510,837.00 | 1. मुद्धती अमानत विथ अपेक्स बैंक | 1,629,185,866.00 | |
| 8,115,427.00 | 2. मुध्दती अमानत विथ नोटी फाइड बैंक | 8,661,614.00 | |
| 387,472,730.00 | 3. मुध्दती अमानत विथ आयडीबीआय बैंक | 179,210,229.00 | |
| **290,132,877.00** | **(सावधि जमा/विनियोग अन्य )** | | **800,000,000.00** |
| 290,132,877.00 | 1. मुध्दती अमानत अन्य प्रायवेट बैंक | - | |
| | 2. कालमनी | 800,000,000.00 | |
| **1,876,815,994.00** | **विनियोग** | | **2,152,426,763.00** |
| 1,541,928,010.00 | 1. सहकारी बाण्ड प्रतिभुति | 1,800,642,060.00 | |

| गतवर्ष की रकम | पूंजी तथा देनदारिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10,778,039.00 | सहकारी विकास निधि | 11,544,577.00 | |
| 1,186,451.00 | ग्रेज्युटी कर्मचारी कोष | 1,186,451.00 | |
| 2,960,534.02 | कर्मचारी सामान्य निधि | 3,625,770.02 | |
| 8,200,000.00 | फर्नीचर फिक्चर निधि | 8,200,000.00 | |
| 865,000.00 | चेरिटी कोष | 865,000.00 | |
| 5,501,284.28 | साज सज्जा कोष | 5,501,284.28 | |
| 4,334,443.47 | वाहन कोष | 4,334,443.47 | |
| 111,204.00 | जोखिम कोष शासन से | 111,204.00 | |
| 39,012,135.70 | भवन कोष | 39,012,135.70 | |
| 21,968.00 | लाभांश पूर्ति कोष | 21,968.00 | |
| 5,147.60 | शिक्षा कोष | 5,147.60 | |
| 16,214,284.20 | ओव्हरड्यू ब्याज रिजर्व | 16,214,284.20 | |
| 9,785,145.00 | वैद्यनाथन पुर्नपुंजीकरण सहायता राशि | 9,785,145.00 | |
| 47,614,947.43 | सम्पति पूनर्मुल्यांकन कोष | 47,614,947.43 | |
| 6,337.00 | लांभास सहकारी समिति प्रावधान | 6,337.00 | |
| 3,000,000.00 | एक्सग्रेसिया कर्मचारी प्रावधान | 3,000,000.00 | |
| 6,000,000.00 | तकनीकि ग्राह्य फण्ड | 6,000,000.00 | |
| 847,294.00 | नाबार्ड से प्राप्त अनुदान | 2,183,330.00 | |
| 17,849,343.72 | संचित लाभ | 17,958,579.40 | |
| | **3. राज्य शासन भागीदारी मुल सहायक अंशपूंजी** | | |
| - | 1. केन्द्रीय सह.अधि. | - | |
| - | 2. प्राथिमिक सहकारी समिति | - | |
| - | 3. अन्य समिति | - | |
| **7,303,013,313.25** | **4. अमानतें एवं अन्य अमानत** | | **8,714,774,178.74** |
| | **(मुददती अमानते)** | | |
| 405,733,882.12 | 1. सहकारी समिति | 445,207,778.12 | |
| 3,126,890,655.81 | 2. व्यक्तीगत अमानत | 3,573,978,440.82 | |
| 513,449,157.24 | 3. अन्य समितिया अमानत | 568,868,894.14 | |
| - | 4. आर्वतक अमानत सहकारी समिति | 4,500,000.00 | |
| 11,183,083.99 | 5. आर्वतक अमानत व्यक्तीगत | 9,410,026.99 | |
| **4,057,256,779.16** | **योग (1+2+3+4+5+6+7)** | **4,601,965,140.07** | |
| | **(बचत अमानते )** | | |
| 484,835,043.13 | 1. सहकारी समितिया | 767,575,698.72 | |
| 2,358,225,380.11 | 2. व्यक्तिगत | 2,886,369,685.94 | |
| 193,894,088.37 | 3. अन्य समितिया | 247,616,521.44 | |
| **3,036,954,511.61** | **योग (1+2+3+4+5)** | **3,901,561,906.10** | |
| | **(चालु अमानते)** | | |
| 34,146,122.05 | 1. सहकारी समितिया | 39,815,695.01 | |
| 37,258,246.83 | 2. व्यक्तिगत | 31,927,112.06 | |
| 9,109,235.63 | 3. अन्य समितिया | 9,360,160.00 | |

| गतवर्ष की रकम | सम्पत्तिया तथा अस्तिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 297,200,000.00 | 2. अंश क्रय अपेक्स बैंक | 312,200,000.00 | |
| 1,560,000.00 | 3. अंश अन्य सहकारी संस्थाए | 1,560,000.00 | |
| 36,127,984.00 | 4. रिजर्व फण्ड डिपा0 विथ अपेक्स बेंक | 38,024,703.00 | |
| **9,528,531,777.03** | **( ऋण )** | | **9,561,417,164.24** |
| **9,101,735,184.56** | **अल्पकालीन कृषि ऋण** | | **9,235,610,549.82** |
| 86,450,693.68 | 1. क्रेडिट कार्ड सामान्य न0 1 | 31,841,564.80 | |
| 69,455,518.27 | 2. क्रेडिट कार्ड सामान्य न0 2 | 21,947,115.98 | |
| 73,110,228.23 | 3. क्रेडिट कार्ड अल्पावधि ट्रायबल न0 1 | 64,549,822.34 | |
| 36,320,737.34 | 4. क्रेडिट कार्ड अल्पावधि ट्रायबल न0 2 | 16,060,061.26 | |
| 42,267,910.70 | 5. ऋण अल्पावधि तिलहन क्रेडिट कार्ड न0 1 | 27,098,694.18 | |
| 59,377,295.04 | 6. ऋण अल्पावधि तिलहन क्रेडिट कार्ड न0 2 | 25,609,730.04 | |
| 43,495,795.82 | 7. ऋण अल्पा.क्रेडिट कार्ड ट्रायबल तिलहन न. 1 | 31,118,165.37 | |
| 1,089,402.56 | 8. ऋण अल्पा.क्रेडिट कार्ड ट्रायबल तिलहन न. 2 | 242,056.00 | |
| 6,236,917,963.91 | 9. नार्मल डी एम आर | 6,769,418,233.18 | |
| 1,042,750,948.20 | 10.तिलहन डी एम आर | 1,162,369,355.84 | |
| 1,410,498,690.81 | 11.आदिवासी डी एम आर | 1,085,355,750.83 | |
| **97,494,972.02** | **अल्पकालीन अकृषि ऋण** | | **132,597,615.13** |
| 8,853,981.16 | 1. ऋण फिशरमैन .क्रेडिट कार्ड | 8,884,472.16 | |
| 422,797.59 | 2. ऋण अल्पावधि पशु पालन | 635,401.00 | |
| 2,244,909.00 | 3. ऋण अल्पावधि आत्मनिर्भर भारत | 2,340,941.00 | |
| 108,641.00 | 4. ऋण अल्पावधि अकृषि | 108,641.00 | |
| 65,085.00 | 5. ऋण अल्पावधि खाद्यान्न गृहणी | 65,085.00 | |
| 188,136.60 | 6. ऋण अल्पावधि आभूषण तारण ऋण सामान्य | 188,136.60 | |
| 283,240.10 | 7. आभूषण तारण ऋण हरि0 + आदि0 | 255,448.10 | |
| 25,106,829.00 | 8. मुध्दती अमानत तारण ऋण | 38,751,001.00 | |
| 57,012.00 | 9. एन एस सी तारण ऋण | 6,620.00 | |
| 2,167,176.00 | 10. वेयर हाउस तारण ऋण | 2,167,176.00 | |
| 5,245,943.57 | 11. अधिविकर्ष ऋण कर्मचारी | 10,773,491.03 | |
| 52,749,744.00 | 12. अधिविकर्ष ऋण मुध्दती अमानत | 64,746,093.40 | |
| 1,477.00 | 13. अग्रिम कर्मचारी | 1,477.00 | |
| | 14. रबी नान फार्म सेक्टर | 3,673,631.84 | |
| **145,933,691.53** | **मध्यकालीन कृषि ऋण** | | **22,344,181.13** |
| 144,385,092.23 | 1. एमटी 3 वर्षिय परिवर्तित ऋण | 21,003,459.83 | |
| 354,304.30 | 2. एम.टी. पाईप लाईन | 296,324.30 | |

| गतवर्ष की रकम | पूंजी तथा देनदारिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27,885,933.81 | 4. केश क्रेडिट सहकारी समितिया | 19,204,524.04 | |
| **108,399,538.32** | **योग (1+2+3+4+5)** | **100,307,491.11** | |
| | **(द) अन्य अमानत** | | |
| 4,512,869.77 | 1. अनिवार्य अमानत सहकारी समितिया | 5,274,837.77 | |
| 1,167,589.39 | 2. अनिवार्य अमानत व्यक्तिगत | 1,253,193.39 | |
| 51,506,903.90 | 3. रक्षित कोष सहकारी संस्थाए | 54,911,551.90 | |
| 33,999,702.09 | 4. विशेष डुबंत ऋण पूर्ति कोष | 37,736,895.09 | |
| 8,166,442.06 | 5. रिस्क फण्ड (जोखिम कोष) | 10,294,134.06 | |
| 1,048,976.95 | 6. सुरक्षा डिपाजिट कर्मचारी | 1,469,029.25 | |
| **100,402,484.16** | **योग (1+2+3+4+5+6)** | **110,939,641.46** | |
| **5,296,854,525.00** | **(ग्रहित ऋण)** | | **6,031,108,200.00** |
| **5,270,500,000.00** | (अ) रिजर्व बैंक द्वारा राज्य अधिकोष (अल्पकालीन नगद साख अवधी) प्रतिभूति पर | | **5,704,700,000.00** |
| 3,844,500,000.00 | अल्पावधि ऋण नार्मल | 3,329,800,000.00 | |
| 652,300,000.00 | अल्पावधि ऋण ट्रायबल | 600,100,000.00 | |
| 773,700,000.00 | अल्पावधि ऋण एनओडीपी | 929,300,000.00 | |
| | नाबार्ड एस एल एफ | 845,500,000.00 | |
| **20,792,790.00** | **2. मध्यकालीन ऋण** | | **14,408,200.00** |
| 3,165,330.00 | एमटी ऋण पाइप लाईन | - | |
| 1,700,000.00 | एमटी ऋण एग्रीकल्चर | 1,700,000.00 | |
| 15,927,460.00 | एमटी ऋण डेहरी फायनेंस | 12,708,200.00 | |
| **5,561,735.00** | **3–2.लम्बी अवधि ऋण की प्रतिभूति** | | **2,000,000.00** |
| | (अ) शासकीय प्रतिभूति पर | | |
| 5,561,735.00 | (ब) अन्य ठोंस प्रतिभूति पर (एनसीडीसी से आईसीडीपी प्रोजेक्ट) | 2,000,000.00 | |
| | **6 –अन्य से** | | **310,000,000.00** |
| - | अ. अधि0 ऋण नाबार्ड | 310,000,000.00 | |
| - | ब. एनसीडीसी से केश क्रेडिट ऋण | | |
| **1,470,909.12** | **शाखाओं का जमा खर्च** | | **725,077.19** |
| **167,180,468.29** | **देय ब्याज** | | **158,147,269.31** |
| **93,438,252.40** | **(देनदारिया)** | | **319,487,739.29** |
| 9,243.00 | 1. लोकल आयटम क्लेरिंग खाता | - | |
| 2,335,324.31 | 2. लायबिलिटीज पेयबल | 2,388,294.31 | |
| 26,781,354.16 | 3. अन्य देनदारियॉ अकॉ0 | 22,470,361.81 | |
| 4,905,550.00 | 4. अनुदान अग्रिम समस्त प्रकार | 4,905,550.00 | |
| 14,516,323.00 | 5. चंदा देना बाकी जिला एवं राज्य संघ | 15,072,823.00 | |
| 6,124,625.16 | 6. बिल्स पेयबल डीडी पेयबल | 6,180,368.24 | |
| 6,181,437.87 | 7. ब्याज देना बाकि 3 प्रति. सहकारी संस्था को | 6,181,437.87 | |
| 1,161,946.00 | 8. प्रा0 फण्ड अकॉ0 | 2,303,655.00 | |
| 195,457.20 | 9. एलआईसी को रकम देना बाकी | - | |

| गतवर्ष की रकम | सम्पत्तिया तथा अस्तिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,194,295.00 | 3. एग्रीकल्चर कृषि ऋण | 1,044,397.00 | |
| **58,341,484.32** | **मध्यकालीन अकृषि ऋण** | | **56,930,260.32** |
| - | 1. एम.टी. ऋण कर्मचारियों की साख संस्था | - | |
| 468,936.00 | 2. एम.टी. अंत्यव्यवसायी | 468,936.00 | |
| 9,932,376.80 | 3. एमटी व्यावसायिक यातायात ऋण | 9,932,376.80 | |
| 396,495.26 | 4. एमटी वाहन ऋण कर्मचारी | 356,565.26 | |
| 7,914,230.87 | 5. एमटी उपभोक्ता ऋण कर्मचारी | 7,914,230.87 | |
| 12,554.00 | 6. एमटी ऋण कम्प्युटर | 12,554.00 | |
| 393,957.00 | 7. एमटी व्यक्तिगत ओघोगिक ईकाई | 393,957.00 | |
| 11,749,647.00 | 8. एमटी डेयरी फायनेन्स | 10,708,492.00 | |
| 24,280,082.00 | 9. एमटी भोज सोया संयत्र | 24,280,082.00 | |
| 49,150.00 | 10. एमटी ईईसी गोदाम ऋण | 49,150.00 | |
| 132,444.39 | 11. एमटी परिसमापक ऋण | 132,444.39 | |
| 333,737.00 | 12. एमटी हायपोथिकेशन ऋण | 333,737.00 | |
| - | 13. एम टी ऋण मल्टी सर्विस सैन्टर | - | |
| 9,066.00 | 14. एम टी ऋण पी एम मुद्रा | 3,654.00 | |
| - | 15. एम टी नर्सरी ऋण | - | |
| 1,457,106.00 | 16. एम टी मारग्रेज ऋण | 1,132,405.00 | |
| - | 17. एम टी गोट ऋण | - | |
| 1,211,702.00 | 18. एम टी पोली हाउस | 1,211,676.00 | |
| **204,548.00** | **दीर्घकालीन कृषि ऋण** | | **80,265.00** |
| 204,548.00 | 1. एलटी ऋण ट्रेक्टर | 80,265.00 | |
| **31,359,563.56** | **दीर्घकालीन अकृषि ऋण** | | **29,599,020.56** |
| 11,843,258.56 | 1. एल.टी. आवास ऋण | 11,843,258.56 | |
| 14,828,446.00 | 2. एल.टी. आवास ऋण कर्मचारी | 13,454,097.00 | |
| 1,324,710.00 | 3. कर्मचारी व्यक्तीत ऋण | 585,509.00 | |
| 3,363,149.00 | 4. एल टी कार लोन | 3,716,156.00 | |
| **93,462,333.04** | **(केश क्रेडिट ऋण)** | | **84,255,272.28** |
| 47,276,920.69 | 1. केश क्रेड़िट फर्टिलाईजर रासायनिक खाद | 34,486,731.62 | |
| 8,943,685.07 | 2. क्लिन केश उपभोक्ता | 12,526,760.33 | |
| 64.95 | 3. क्लिन केश समर्थन मूल्य | 0.00 | |
| 118.00 | 4. क्लिन केश समर्थन मूल्य मार्केटिंग | 236.00 | |
| 34,891.00 | 5. क्लिन केश क्रेड़िट बुनकर संस्था | 34,891.00 | |

| गतवर्ष की रकम | पूंजी तथा देनदारिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 461,363.96 | 10. समूह बीमा योजना कर्मचारी | 466,497.96 | |
| 495,928.00 | 11. अर्नेस्ट मनी अकॉ0 | 1,100,928.00 | |
| 2,005,809.00 | 12. आडिट फिस देना बाकी | 1,748,059.00 | |
| 1,812,371.25 | 13. स्टेल चेक्स एवं ड्राफ्ट अकॉ0 | 1,812,371.25 | |
| 5,497.00 | 14. क्रिस योजना की रकम देना बाकी | 5,497.00 | |
| 500,000.00 | 15. केडर फन्ड सरप्लस अकॉ0 | 500,000.00 | |
| 2,179,851.00 | 16. आयकर देना बाकि (टी. डी. एस) | 3,576,937.00 | |
| 689,386.00 | 17. बचत बैंक अमानत ग्यारंटी बीमा योजना | 689,386.00 | |
| - | 18. ट्रिगल फीड में जमा नही राशि | - | |
| 24.00 | 19. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा प्रीमियम देना बाकि | 24.00 | |
| 300.00 | 20. एल आय सी जमा | - | |
| 13,200.00 | 21. ए सी एच से प्राप्त राशि रिटर्न | - | |
| 250.00 | 22. प्रोफेशनल टेक्स की रकम देना बाकी | - | |
| 252926.50 | 23. नाबार्ड से वित्तीय साक्षरता की प्राप्त राशि | 252,926.50 | |
| 12000.00 | 24. बेंच संस्पेंस खाता | 6,531,481.61 | |
| 1635500.00 | 25. सब्सीडी खाता | 1741700.00 | |
| 12165688.33 | 26. आय एन सी ए | 7045615.86 | |
| 0.99 | 27. नेफट आर टी जी एस पार्किंग खाता | 12456.10 | |
| 32.00 | 28. सर्विस टेक्स | 247.00 | |
| 60.00 | 29. एन आय ए जमा | 0.00 | |
| 5882186.48 | 30. ड्राप्ट खाता कोर ब्रांच | 6520811.36 | |
| 71.09 | 31.रिफन्ड की राशि एन पी सी आय से लेना बाकी | 0.00 | |
| 1903455.80 | 32. बैकर्स चेक | 2280308.00 | |
| 0.00 | 33. नफट संस्पेन्स खाता | 0.00 | |
| 1171287.30 | 34. बैंकर्स समाशोधन | 304760.30 | |
| 39803.00 | 35. बेलेन्सिग खाता | 7252175.32 | |
| | 36. अन रिकव्हर्ड ब्याज | 183118149.80 | |
| | 37. कर्मचारी संघ का देय राशि | 26880.00 | |
| | 38. एटीएम क्लेरिंग संस्पेन्स | 34998037.00 | |
| **31,276,568.68** | 39. संचित लाभ हानि गत स्थिति विवरण पत्रक का लाभ कम किया जो अंकेक्षण वर्ष की हानी कम की गई अकेक्षण वर्ष में वितरित किया गया लाभ जो हानि पत्रको से आया | 33,982,013.21 | **33,982,013.21** |
| **14,732,209,286.86** | **महायोग** | | **17,145,655,252.54** |

| गतवर्ष की रकम | सम्पत्तिया तथा अस्तिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7,108,205.13 | 6. क्लिन केश क्रेड़िट उपभोक्ता भण्डार | 7,108,205.13 | |
| 1,247,276.40 | 7. क्लिन केश क्रेड़िट आद्यौगिक ईकाई | 1,247,276.40 | |
| 17,262,089.00 | 8. क्लिन केश क्रेड़िट व्यक्तिगत लिमिट | 17,262,089.00 | |
| 6,563,600.21 | 9. क्लिन केश क्रेड़िट मार्केटिग लिमिट | 6,563,600.21 | |
| 5,025,482.59 | 10. क्लिन केश क्रेड़िट विपणन संस्था | 5,025,482.59 | |
| **62,586,546.83** | **(प्राप्तिया)** | | **67,200,019.71** |
| 15,396,737.17 | 1. प्राप्ति योग्य ब्याज लेना बाकी सहकारी संस्था | 20,039,118.05 | |
| 8,129,322.14 | 2. ब्याज लेना बाकी केन्द्र शासन से | 8,129,322.14 | |
| 13,942,180.52 | 3. ब्याज लेना बाकी राज्य शासन से | 13,942,180.52 | |
| 25,118,307.00 | 4. शासकीय प्रतिभुति पर प्राप्ति योग्य ब्याज लेना बाकी | 25,089,399.00 | |
| **114,541,193.02** | **(सम्पतिया)** | | **111,034,862.06** |
| 34,378,739.00 | 1. बैंक भवन | 32,362,527.00 | |
| 54,874,111.00 | 2. बैंक भुमि | 54,874,111.00 | |
| 2,626,967.00 | 3. जीप कार वाहन अकॉ0 | 2,232,920.00 | |
| 986,228.05 | 4. कम्प्युटर खाता | 842,789.21 | |
| 9,763,266.99 | 5. डेड स्टाक नान परिशिएटबल अकॉ0 | 8,857,624.86 | |
| 1,388,723.98 | 6. डेड स्टाक पैरेशियबल | 1,471,871.39 | |
| 10,523,157.00 | 7. डेड स्टाक फिक्चर फर्नीचर | 10,393,018.60 | |
| **129,157,185.33** | **(सम्पत्तिया तथा अस्तिया)** | | **143,441,178.38** |
| 1,001,263.62 | 1. ऋण राहत मूल की रकम केन्द्र शासन से लेना | 1,001,263.62 | |
| 36,174.48 | 2. ऋण राहत मूल की रकम राज्य शासन से लेना | 36,174.48 | |
| 104,047,356.32 | 3. संस्पेस अकॉ0 | 100,667,391.04 | |
| 2,691,858.84 | 4. अन्य लेनदारिया | 3,154,399.84 | |
| 349,226.00 | 5. जवाहर रोजगार योजना | 349,226.00 | |
| 699,388.90 | 6. स्कंध प्रपत्र, पंजिया बैंक | 794,370.35 | |
| 1,298,227.43 | 7. स्कंध प्रपत्र, पंजिया सहकारी संस्थाऐ | 1,091,119.00 | |
| 36,638.49 | 8.सक्षमता विकास की रकम लेना बाकी | 36,638.49 | |
| 4,366,042.00 | 9 शासकीय प्रतिभुति पर पीमियम भुगतान | 3,547,229.00 | |
| 596,026.76 | 10. नेफट संस्पेंन्स | 13,937,444.93 | |
| 7,710,066.00 | 11. अन्य लेनदारीया गबन की राशि | 7,710,066.00 | |
| - | 12. यु आय डी जमा | - | |
| 315,223.00 | 13. शिक्षा जागृति की रकम | 315,223.00 | |
| 298,041.87 | 14. जेआरवाय योजनान्तर्गत खाद्यान्न राशि | 298,041.87 | |
| 557,702.08 | 15. ट्रिगल फीड में नामें राशि | 364,294.50 | |
| 790,435.35 | 16. सेन्ट्रल जी एस टी | 823,264.35 | |
| 790,435.45 | 17. राज्य जी एस टी | 823,264.30 | |
| 785,900.55 | 18. आय जी एस टी | 2,059,983.32 | |

हस्ता / –
प्रबंधक लेखा
राजेन्द्र पाटिल

हस्ता / –
महाप्रबंधक
पी. एस. धनवाल

हस्ता / –
प्रशासक एव उपायुक्त
परमानंद गोडरिया

| गतवर्ष की रकम | सम्पत्तिया तथा अस्तिया | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 364,164.08 | 19. एटीएम चार्जेस आय सी आय सी आय से लेना बाकी | 592,574.25 | |
| 315,419.00 | 20. आय एम पी एस से लेना बाकी | 5,448,190.04 | |
| 162000 | 21. एल पी जी सब्सीडी | 391,020.00 | |
| 1,945,595.11 | 22. एटीएम क्लेरिंग संस्पेन्स | - | |
| | 23. बैंकर्स समाशोधन गृह | - | |
| **14,732,209,286.86** | **योग** | | **17,145,655,252.54** |

हस्ता/—
प्रबंधक लेखा
राजेन्द्र पाटिल

हस्ता/—
महाप्रबंधक
पी. एस. धनवाल

हस्ता/—
प्रशासक एव उपायुक्त
परमानंद गोडरिया

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार (म.प्र.)
## लाभ हानि पत्रक वर्षान्त 31.03.2022

| गत वर्ष की रकम | आय के मद | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1,126,884,846.23** | **1. अर्जित एवं प्राप्त ब्याज** | | 1122189287.61 |
| 968,395,280.50 | अ ऋण पर | 956,724,419.29 | |
| 49,389.00 | ब अमानतो पर | 2,295.00 | |
| 53,538,425.67 | स विनियोग पर | 43,214,800.10 | |
| 104,901,751.06 | द सहकारी प्रतिभुति पर | 122,247,773.22 | |
| **3,634,373.83** | **2. कमीशन एवं दलाली** | | **2,569,451.77** |
| 4,198,188.00 | 3. इन्सीडेटल चार्जेस | 4,860,115.00 | |
| 417,023.11 | 4. अन्य आय | 333,051.22 | |
| 0.00 | 5. मूल्यांकन शुल्क | 0.00 | |
| 220,995.00 | 6. लॉकर किराया | 205,154.00 | |
| 55.00 | 7. अर्थदण्ड अकॉ0 | 595.00 | |
| 0.00 | 8. प्रवेश शुल्क | 0.00 | |
| 200,000.00 | 9. लाभाश प्राप्त इफको से | 200,000.00 | |
| 75,000.00 | 10.लाभांश प्राप्त कृभको से | 100,000.00 | |
| 0.00 | 11.लाभांश प्राप्त अपेक्स बैंक से | 5,778,147.95 | |
| 0.00 | 12.शासकीय अनुदान प्राप्त शासन से | 0.00 | |

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार (म.प्र.)
## लाभ हानि पत्रक वर्षान्त 31.03.2022

| गत वर्ष की रकम | व्यय की मद | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **830,435,201.34** | **1. अमानते एवं ऋण पर ब्याज दिया** | **885,823,760.53** | |
| 369,531,229.00 | अ ऋण पर | 351,449,563.00 | |
| 435,733,963.34 | ब अमानतो पर | 464,143,083.53 | |
| 1,788,212.00 | स कृषि स्थायित्व निधि पर | 1,958,533.00 | |
| 23,381,797.00 | द ब्याज अनुदान सहकारी संस्थाओं को | 68,272,581.00 | |
| | | | **885,823,760.53** |
| **156,626,443.24** | **स्थापना व्यय** | **131,783,785.00** | |
| 156,555,572.24 | 2. वेतन उपवेतन तथा भविष्य निधि | 131,675,007.00 | |
| 0.00 | अ केडर वेतन मंहगाई भत्ता भविष्य निधि | 0.00 | |
| 0.00 | ब बोनस कर्मचारी | 0.00 | |
| 70,871.00 | स यात्रा भत्ता कर्मचारी | 108,778.00 | |
| | | | **131,783,785.00** |
| **110,421,347.97** | **3 . अन्य व्यय** | **73,031,261.46** | |
| 24,242,395.22 | 1. कर किराया बीमा एवं प्रकाश व्यय | 23,530,970.88 | |
| 473,167.33 | 2. दुरलेख दुरभाष एवं डाक व्यय | 195,939.01 | |
| 76,183.00 | 3. वाचनालय एवं पत्र पत्रिकाए | 94,051.00 | |
| 3,062,508.71 | 4. सम्पत्ति पर रख रखाव व्यय | 2,190,246.27 | |
| 2,237,506.35 | 5. लेखन सामग्री एवं छपाई व्यय | 1,786,480.58 | |
| 1,297,361.92 | 6. विविध व्यय | 1,591,141.16 | |
| 77,932.00 | 7. विधि व्यय | 1,740,854.00 | |
| 1,758,040.00 | 8. डीजल पेट्रोल एवं आईल अकॉ0 | 1,313,200.00 | |
| 170,040.00 | 9. पोषाक भृत्य एवं चालकगण | 226,696.77 | |
| 314,977.00 | 10.विज्ञापन व्यय अकॉ0 | 183,902.00 | |
| 0.00 | 11.प्रशिक्षण व्यय | 0.00 | |
| 3,556,650.00 | 12.चंदा दिया जिला एवं राज्य संघ | 4,056,500.00 | |
| 1,228,970.00 | 13.आडिट फीस दिया | 1,444,600.00 | |
| 65,400.00 | 14.साधारण सभा व्यय | 68,043.26 | |
| 4,854,819.27 | 15.पुर्व के वर्षो का देय आयकर | 1,978,732.43 | |
| 7,366,386.61 | 16.छिजन दिया | 7,894,213.52 | |
| 41,249.48 | 17.संस्थापन व्यय | 43,754.18 | |

| गत वर्ष की रकम | व्यय की मद | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12,333,833.00 | 18.बैंक अंशदान प्राविडेण्ट फण्ड | 14,353,591.00 | |
| 45,000,000.00 | 19.कालातीत ऋण प्रावधान | 0.00 | |
| 124,715.31 | 20.मोबाइल सीम का किराया | 116,709.46 | |
| 0.00 | 21.वित्तीय साक्षरता व्यय | 0.00 | |
| 7.56 | 22.राउण्डअप राशि | 56.07 | |
| 965,113.00 | 23.शासकीय प्रतिभुति पर प्रीमियम भुगतान | 972,813.00 | |
| 171,858.00 | 24.आकस्मिक व्यय | 125,474.00 | |
| 0.00 | 25.क्रेडिट स्कोर व्यय | 0.00 | |
| 797,359.72 | 26.कम्प्युटर व्यय | 962,419.36 | |
| 162,435.96 | 27.बैंक व्यय | 272,419.53 | |
| 28,429.05 | 28.एटीएम शुल्क एनपीसीआय | 44,333.63 | |
| 0.00 | 29.अंशदान अपैक्स बैंक | 5,000.00 | |
| 3,109.48 | 30.एनपीसीआय व्यय | 6,601.05 | |
| 10,900.00 | 31.सरसाईस फीस | 7,805,839.95 | |
| | 32.प्रशिक्षण व्यय | 24,707.00 | |
| | 33.क्रेडिट स्कोर व्यय | 1,972.35 | |
| | | | **73,031,261.46** |
| **1,097,482,992.55** | **योग व्यय** | | **1,090,638,806.99** |
| **46,276,568.68** | वर्ष का लाभ आयकर के पूर्व का | | **51,482,013.21** |
| **15,000,000.00** | आयकर दिया | | **17,500,000.00** |
| **31,276,568.68** | शुद्ध लाभ | | **33,982,013.21** |
| **1,143,759,561.23** | | | **1,142,120,820.20** |

हस्ता/–
प्रबंधक लेखा
राजेन्द्र पाटिल

हस्ता/–
महाप्रबंधक
पी. एस. धनवाल

हस्ता/–
प्रशासक एव उपायुक्त
परमानंद गोडरिया

| गत वर्ष की रकम | आय के मद | रकम | कुल रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3,964,570.00 | 13.आयकर रिफण्ड खाता | 222,250.00 | |
| 348,229.00 | 14.एल आय सी कमीशन | 349,362.00 | |
| 0.00 | 15.कम दर पर क्रय की गई शासकीय प्रतिभूतियों से आय | 0.00 | |
| 21,395.00 | 16.खाता बन्द शुल्क | 28,010.00 | |
| 190,195.00 | 17.चेक बुक शुल्क | 274,985.00 | |
| 1,950.00 | 18.स्टाप पेमेन्ट शुल्क | 2,200.00 | |
| 98,500.00 | 19.विविध शुल्क से आय | 119,300.00 | |
| 2,037,570.79 | 20. एस एम एस चार्ज | 3,035,525.00 | |
| 1,254,667.67 | 21. एटीएम शुल्क | 1,313,600.00 | |
| 203,370.00 | 22. आय एन सी ए कमीशन | 460,263.80 | |
| 8,632.60 | 23. आय एम पी एस से प्राप्त आय | 9,695.85 | |
| | 24. एन आय ए कमीशन | 66,676.00 | |
| | 25. क्रेडिट स्कोर आय | 3,150.00 | |
| **13,240,341.17** | | **17,362,080.82** | **17,362,080.82** |
| | **4 वर्ष की हानि** | 0.00 | 0.00 |
| **1,143,759,561.23** | **योग** | | **1,142,120,820.20** |

हस्ता/–
प्रबंधक लेखा
राजेन्द्र पाटिल

हस्ता/–
महाप्रबंधक
पी. एस. धनवाल

हस्ता/–
प्रशासक एव उपायुक्त
परमानंद गोडरिया

**HUSAIN SHABBIR & O.**
*CHARTERED ACCOUNTANTS*
*ca.shabbirhusain@gmail.com*

*Mob. : 9425176433*
*E-mail :*
*hsc.ho.bhopal@gmail.com*

**H. O. : 103-104, First Floor, Bhopal Plaza, Hamidia Road, BHOPAL – 462001 (M.P.)**

## --- : : अंकेक्षण प्रमाण - पत्र : : --

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता **अंकेक्षण** अधिकारी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विभाग के अधिकारी , निरीक्षक एवं सब ऑडिटर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार जिसका पंजीयन क्र. 17 दिनाक **16.03.1926** है तथा जो जिला धार में है , का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है | बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक कार्यालय में उपलब्ध पाया गया |

मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धार 31 मार्च 2022 तक का स्थिति विवरण पत्रक, लाभ हानि पत्रक जो उक्त दिंनाक से समाप्त होने वाले लेखायों से सम्बंधित है कि प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गए प्रमाणित लेखों के आधार पर जाँच की गई जो कि इन पत्रको में सम्मिलित किये गए है अत: मेरे मत के अंकेक्षण टिप में उल्लेखित आक्षेपों, लेखांकन नीतियाँ एवं परिवर्तन का ज्ञापन (MOC) को छोडकर :-

1. बैंक का व्यवसाय आम तौर से विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक , सहकारी समितियां, भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की आवश्यकतायों के अनुरूप किया गया है |
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है | आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यव्हार एवं स्थिति को दर्शाते है उनका समावेश उनमें है मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के सम्बन्ध में बताई गई तथा जो खातों में दर्शाई गई है उनका समावेश इन पत्रकों में है आपातियाँ ऑडिट नोट में बताई गई है |
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है |
4. बैंक का समस्त व्यवहार व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है |
5. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र बुलाये गए सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है |
6. लाभ -हानि पत्रक लाभों का सही चित्रण करता है |
7. बैंक स्थिति विवरण एवं लाभ हानि पत्रक नियमों के अनुरूप बनाया गया है |
8. मेरे मत से बैंक की समस्त लेखा पुस्तिकाएं आवश्यकता के अनुरूप रखी गई है | अत: में बैंक को पंजीयक, सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्र./अंके./९८/७७१ भोपाल दिंनाक **28.09.1998** एवं परिपत्र क्र./अंके./4/2002/668 भोपाल दिंनाक **24.08.2002** द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई कसौटी के आधार पर बैंक को **"क "** वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ |

वर्ष **2021-22** के लिए

अंकेक्षण वर्गीकरण **" क "** की पुष्टि की जाती है |

कृते :– हुसैन शब्बीर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म क्र. – **006601सी**

सीए. एम.एच. जौहर
भागीदार
सदस्यता क्रमांक **076987**
**UDIN :-**22076987AKTPRF1903
दिनांक :–11/06/2022
स्थान :– धार म.प्र.

# श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
# स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2021-22
## (In the THIRD SCHEDULE as per Section 29 of B.R.Act,1949)

| राशि 31.03.2021 | | | | संम्पत्ति एवं लेनदारियाँ | | राशि 31.03.2022 | राशि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979101.00 | 1 | | | हस्त रोकड | | 1657554.00 | 1657554.00 |
| | 2 | | | विनियोग अन्य बैंको में | | | 71407831.29 |
| | | (A) | | चालू खातें अन्य बैंकों में | | 30261431.29 | |
| 1354647.17 | | | (i) | भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक एम.पी. नगर शाखा | 3154588.17 | | |
| 242131.62 | | | (ii) | भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य शाखा | 1242131.62 | | |
| 434978.03 | | | (iii) | एम.पी.आर.एस.बी. बैंक एमएस खाता | 434978.03 | | |
| 10000.00 | | | (iv) | एम.पी.आर.एस.बी. बैंक चालू खाता | 10000.00 | | |
| 1203364.52 | | | (v) | आई.डी.बी.आई. बैंक टी. टी. नगर भोपाल | 252534.30 | | |
| 1630416.67 | | | (Vii) | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एम.पी. नगर शाखा | 1266654.53 | | |
| 2585.00 | | | (Viii) | दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव लोन खाता | 0.00 | | |
| 53614227.08 | | | (ix) | येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा | 16730893.00 | | |
| 205384.26 | | | (x) | दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव बैंक खाता | 244721.26 | | |
| 5860783.99 | | | (xi) | येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा आर टी जी एस खाता | 6907468.98 | | |
| 20177.30 | | | (xii) | एच. डी. एफ. सी. बैंक | 17461.40 | | |
| 0.00 | | (B) | | बचत खातें अन्य बैंकों में | | 0.00 | |
| | | (C) | | सावधी जमा खातें अन्य बैंकों में | | 41146400.00 | |
| 799191.00 | | | (i) | एम.पी.आर.एस.बी. बैंक एम.पी. नगर शाखा | 799191.00 | | |
| 3000000.00 | | | (ii) | भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्लबैंक एम.पी. नगर शाखा | 3195000.00 | | |
| 6797980.00 | | | (iii) | दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव बैंक खाता | 0.00 | | |
| 23500000.00 | | | (iv) | येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा | 15000000.00 | | |
| 2643804.00 | | | (v) | आई डी. बी. बैंक न्यू मार्केट शाखा | 0.00 | | |
| 4976215.00 | | | (vi) | एयू स्माल फायनेंश बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा | 5000000.00 | | |
| 5500000.00 | | | (vii) | जना स्माल फायनेंश बैंक शाखा | 5500000.00 | | |
| 2500000.00 | | | (ix) | यूनियन बैंक आफ इंडिया एम.पी. नगर शाखा | 2621881.00 | | |
| 4000000.00 | | | (x) | एच डी एफ सी बैंक खातृ | 0.00 | | |
| 4366550.00 | | | (xi) | इसाफ स्माल फायनेंश बैंक शाखा | 4530328.00 | | |
| 4500000.00 | | | (xii) | फिनकेयर स्माल फायनेंश बैंक शाखा | 0.00 | | |
| 2000000.00 | | | (xiii) | आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक शाखा | 2000000.00 | | |
| 3000000.00 | | | (xiv) | इन्डसंन्ड बैंक शाखा | 0.00 | | |
| 2500000.00 | | | (xv) | ईक्वीटास स्माल फायनेंश बैंक शाखा | 2500000.00 | | |
| | 3 | | | MONEY AT CALL AND SHORT | | | |

| राशि 31.03.2021 | | | | पूंजी एवं देनदारियां | | राशि | राशि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अंश पूजी | | | 5937800.00 |
| | (i) | | | अधिकृत अंशपूंजी | 0.00 | | |
| | | | | 5,00,000 प्रत्येक के लिये 100/– रूपये | | | |
| | (ii) | | | प्रदत्त अंशपूंजी | | | |
| | | | | 59378 प्रत्येक के लिये 100/– रूपये | | 5937800.00 | |
| 4824600.00 | (a) | | | व्यक्तिगत | 5937800.00 | | |
| . | 2 | | | रक्षित एवं अन्य निधियां | | | 63450375.32 |
| 43197476.12 | (i) | | | रक्षित निधि | | 45386167.32 | |
| 14773580.00 | (ii) | | | भवन निधि | | 15338580.00 | |
| 0.00 | (iii) | | | विनियोग हास निधि आई डी आर | | | |
| | 3 | | | अन्य निधियां | | 2725628.00 | |
| 87000.00 | | (a) | | मानक संपत्तियों पर प्रावधान | 262000.00 | | |
| 0.00 | | (b) | | निवेश पर उतार चडाव पर प्रावधान थ्ह् | 0.00 | | |
| 0.00 | | (c) | | वेड डेबट्स एण्ड डाउटफुल रिजर्व | 0.00 | | |
| 463628.00 | | (d) | | रिजर्व फोर डिफरेंश इन चालू खाते | 463628.00 | | |
| 2000000.00 | | (e) | | आकस्मिक देयताऐं प्रावधान कान्टीजेंट | 2000000.00 | | |
| | 4 | | | अन्य जमा खातें | | | |
| | (ii) | | | चालू खातें | | 35307870.67 | 35307870.67 |
| 16012980.11 | | (a) | | व्यक्तिगत जमा खातें | 35296444.67 | | |
| 11426.00 | | (b) | | सोसायटीयों के जमा खातें | 11426.00 | | |
| | (iii) | | | बचत खातें | | 8462503.11 | 8462503.11 |
| 2720214.30 | | (a) | | व्यक्तिगत जमा खातें | 7248380.97 | | |
| 841656.64 | | (b) | | सोसायटीयों के जमा खातें | 1214122.14 | | |
| | (iv) | | | कॉल सूचना पर पैसा | | | |
| | | (a) | | व्यक्तिगत जमा खातें | | | |
| | (v) | | | आवर्ती जमा खातें | | 26583.00 | 26583.00 |
| 50600.00 | | (a) | | व्यक्तिगत जमा खातें | 26583.00 | | |
| | (vi) | | | दैनिक जमा खातें | | 1000.00 | 1000.00 |
| 1000.00 | | (a) | | व्यक्तिगत जमा खातें | 1000.00 | | |
| | 5 | | | पार्टनरशिप फन्ड अकाउन्टस | | | |
| 0.00 | (a) | | | पार्टनरशिप फन्ड | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | | अन्य सावधी जमा खातें | | | 101653219.00 |
| | (i) | (A) | | सावधी जमा खातें | | 2588836.00 | |
| 488579.00 | | | (a) | व्यक्तिगत सावधी जमा खातें | 528836.00 | | |

| राशि 31.03.2021 | क्र. | मद | संम्पति एवं लेनदारियॉं | | राशि 31.03.2022 | राशि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NOTICE INVESTMENTS : | | | 52444950.00 |
| | | (i) | शासकीय पगतिभूतियों में निवेश | | | |
| 49944850.00 | | | बुक मूल्य पर निवेश रूपये राशि | | 49944850.00 | |
| 5000000.00 | | (ii) | अन्य निवेश /म्यूचल फंड/शेयर्स | | 2500000.00 | |
| | | (iii) | सहकारी बैंको में जमा अंश | | | |
| 100.00 | | | नियम पांच के नीचे | | 100.00 | |
| | 5 | | **ऋण तथा अग्रिम** | | | 91551821.76 |
| | (I) | | **अल्पकालीन ऋण** | | 23421188.67 | |
| 205501.84 | | (i) | कन्जुमर ड्यूरेबल लोन | 648281.69 | | |
| 19390.71 | | (ii) | पर्सनल लोन की राशि | 928555.00 | | |
| 150838.00 | | (iii) | एल. आई. सी. एवं एन.एस.सी. के विरूद्व टर्म लोन | 106551.00 | | |
| 5767246.26 | | (iv) | कैश क्रेडिड ओवरडाफ्ट / मोर्टगेज.ऋण | 12425495.76 | | |
| 2343685.60 | | (v) | कैश क्रेडिट सावधी जमा के विरूद्व लोन की राशि | 8303664.60 | | |
| 291934.10 | | (v) | कैश क्रेडिड एल. आई. सी. के विरूद्व ऋण | 1008640.62 | | |
| | (ii) | | **मध्य एवं दीर्ध अवधि ऋण** | | 68130633.09 | |
| 2479322.52 | | (i) | भवन/ ग्रह ऋण की राशि | 25122856.52 | | |
| 1845570.98 | | (ii) | वाहन ऋण | 5421486.60 | | |
| 50976.97 | | (iii) | शिक्षा ऋण | 49906.97 | | |
| 0.00 | | (iv) | व्यवसाय के लिये ऋण | 1961993.00 | | |
| | | (v) | टर्म मोर्टगेज.ऋण | 35574390.00 | | |
| | 6 | | **प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि** | | | 2330435.00 |
| 3335286.00 | | (i) | प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि अमानतों पर | | 2330435.00 | |
| 0.00 | | (ii) | प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि लोन खातों पर | | 0.00 | |
| | 7 | | **वसूली योग्य बिल संग्रह की राशि कांट्रा इन्ट्री** | | | 1380000.00 |
| 0.00 | | (i) | वसूली योग्य बिल संग्रह की राशि कांट्रा इन्ट्री | | 0.00 | |
| 0.00 | | (ii) | बैंक गारंटी इश्यू राशि कांट्रा इन्ट्री | | 1380000.00 | |
| 0.00 | 8 | | **शाखा समायोजन खाता** | | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | **फर्नीचर एवं फिक्चर अवक्षयण काटकर** | | | 99107.65 |
| 88552.04 | | (i) | फर्नीचर एवं फिक्चर | | 76458.84 | |
| 12040.32 | | (ii) | ऐअर कन्डीशनर | | 12040.32 | |
| 21216.97 | | (iii) | कम्प्यूटर हार्डवेयर | | 10608.49 | |
| | 11 | | **अन्य लेनदारियां** | | | 277846.89 |
| 6279.43 | | (i) | एडवांश इन टेलिफोन | | 6279.43 | |
| 7016.00 | | (ii) | पुस्तकालय | | 7016.00 | |
| 48754.00 | | (ii) | स्टेशनरी स्टॉक खाता | | 45424.00 | |
| 3500.00 | | (iv) | एडवांश जमा विजली के लिये | | 3500.00 | |
| 1600.00 | | (v) | एडवांश जमा गैस कनेक्शन के लिये | | 1600.00 | |
| 9507.81 | | (vi) | उचंत खाता /सस्पेंस खाता | | 0.00 | |
| 15311.37 | | (vii) | एस. जी. एस. टी. पेड राशि | | 33009.29 | |
| 15338.38 | | (ix) | सी जी. एस. टी. पेड राशि | | 33036.41 | |

| राशि 31.03.2021 | क्र. | मद | पूंजी एवं देनदारियां | | राशि | राशि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060000.00 | | (b) | मासिक सावधी जमा खातें | 2060000.00 | | |
| 0.00 | | (c) | सीनियर सिटीजन सावधी जमा खातें | 0.00 | | |
| | (B) | | **डबल डिपोजिट सावधी जमा खातें** | | 99064383.00 | |
| 115442421.00 | | (a) | व्यक्तिगत डबल डिपोजिट जमा खातें | 96241617.00 | | |
| 119679.00 | | (d) | सोसायटीयों डबल डिपोजिट जमा खात | 128594.00 | | |
| 1400199.00 | | (c) | सीनियर सिटीजन डबल डिपोजिट जमा खात | 2694172.00 | | |
| | (C) | | **परिपक्व जमा खातें** | | 0.00 | |
| 0.00 | | (a) | व्यक्तिगत परिपक्व सावधी जमा खातें | 0.00 | | |
| 0.00 | | (b) | डबल डिपोजिट परिपक्व सावधी जमा खातें | 0.00 | | |
| 0.00 | | (c) | डबल डिपोजिट सोसायटी परिपक्व सावधी जमा खातें | 0.00 | | |
| 0.00 | | (d) | परिपक्व आवर्ती जमा खातें | 0.00 | | |
| | 6 | | **लोन खातें** | | | 0.00 |
| | | (i) | भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल | | | |
| | | (ii) | भोपाल को ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक भोपाल | | | |
| 0.00 | | | एम. पी. नगर शाखा भोपाल | | 0.00 | |
| | 7 | | **वसूली योग्य बिल** | | | |
| 0.00 | (i) | | जावक बिल संग्रह ओबीसी कांट्रा इन्ट्री | | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | (II) | | बैंक गारंटी इश्यू कांट्रा इन्ट्री | | 0.00 | |
| 0.00 | 8 | | **शाखा समायोजन इन्ट्री** | | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 9 | | **अतिदेय ब्याज रिजर्व ओवर डयू** | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | **अमानतों पर देय ब्याज** | | | 48765.02 |
| 15743.02 | | (i) | सावधी जमा खातों पर देय ब्याज | | 46481.02 | |
| 2284.00 | | (ii) | आवर्ती जमा खातों पर देय ब्याज | | 2284.00 | |
| | 11 | | **अन्य दायित्व** | | | 591502.89 |
| 0.00 | | (i) | सहकारी संघ चंदा देय राशि | | 0.00 | |
| 0.00 | | (ii) | स्टैल बैंकर्स चेक की राशि | | 0.00 | |
| 0.00 | | (iii) | स्टैल डिमांड ड्रॉफट की राशि | | 0.00 | |
| 0.00 | | (iv) | अंकेक्षण शुल्क की देय राशि | | 50000.00 | |
| 61275.39 | | (v) | पेय आर्डर इश्यू | | 304757.55 | |
| 0.00 | | (vi) | स्टैल चेकों की राशि | | 0.00 | |
| 0.00 | | (vii) | डी.डी. पेयबल आई डी.बी.आई खाता | | 0.00 | |
| 0.00 | | (viii) | आयकर जमा खाता | | 0.00 | |
| 382800.00 | | (ix) | ऐरियर्स ऑफ रेंट | | 0.00 | |
| 89995.00 | | (x) | टी. डी. एस. पेयबल | | 129861.00 | |
| 18512.25 | | (x) | एस जी.एस.टी. | | 43473.15 | |
| 18450.29 | | (x) | सी. जी.एस.टी. | | 43411.19 | |

| राशि 31.03.2021 | | | संपत्ति एवं लेनदारियाँ | राशि 31.03.2022 | राशि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46168.50 | | (x) | आई. जी. एस. टी. पेड राशि | 90516.75 | |
| 1121.88 | | (xi) | जी. एस. टी. पेड राशि | 2532.01 | |
| 14161.00 | | (xii) | जी. एस. टी. पेयवल राशि | 18643.00 | |
| 0.00 | | (xiii) | स्टैंप अकाउंट | 36290.00 | |
| 0.00 | 12 | | अन्य बैंकिंग अस्तियां | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 13 | | लाभ – हानि खाता | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | आकस्मिक देयताऐं | | |
| 4021247.41 | | (i) | आर बी आई डीफ राशि रिसियेबल कान्टा राशि | 4044131.82 | 4044131.82 |
| **211388054.73** | | | कुल योग | | **225193678.41** |

वास्तें : – श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

| हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– |
|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष/संचालक | संचालक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | अंकेक्षक अधिकारी |

# श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
## 134 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल
## लाभ - हानि पत्रक वर्ष 2021-22

| राशि 31.03.2021 | व्यय का विवरण | नामे | जमा | राशि 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **01. ब्याज भुगतान एवं भुगतान योग्य** | | | | 5121841.00 |
| 3094640.00 | कुल जमा पर ब्याज भुगतान व भुगतान योग्य | 6496663.00 | 1374822.00 | 5121841.00 | |
| 1017910.00 | **02. वेतन एवं भत्ते** | 1652952.00 | 0.00 | 1652952.00 | 1652952.00 |
| 0.00 | **03. संचालको का भत्ता व्यय** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **04. कर, किराया, बीमा व्यय** | | | | 2234843.91 |
| 99000.00 | भवन किराया मुख्यालय का | 486477.00 | 0.00 | 486477.00 | |
| 182376.00 | भवन किराया शाखा का | 91188.00 | 0.00 | 91188.00 | |
| 0.00 | सर्विस टेक्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 90160.50 | बीमा व्यय | 237211.66 | 0.00 | 237211.66 | |
| 105805.00 | बिजली व्यय | 147769.25 | 9502.00 | 138267.25 | |
| 891219.00 | आयकर व्यय | 1281700.00 | 0.00 | 1281700.00 | |
| 0.00 | विविध व्यय जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29500.00 | **05.कानूनी व्यय** | 39650.00 | 0.00 | 39650.00 | 39650.00 |
| | **06. डाक, तार, एवं दूरभाष व्यय** | | | | 119451.29 |
| 22236.00 | डाक एवं तार व्यय | 22394.00 | 0.00 | 22394.00 | |
| 43952.50 | दूरभाष व्यय | 97057.29 | 0.00 | 97057.29 | |
| 55000.00 | **07. अंकेक्षण शुल्क** | 90810.00 | 9000.00 | 81810.00 | 81810.00 |
| | **08. ह्रास अवक्षयण व्यय** | | | | |

| राशि 31.03.2021 | | | पूंजी एवं देनदारियां | राशि | राशि 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000.00 | | (x) | बिल पंयवल मार्च | 20000.00 | |
| | 12 | | लाभ – हानि खाता | | **4289927.58** |
| | | | बैंक का शुद्व लाभ | | |
| 2262708.20 | | | बैंक का शुद्व लाभ लाभ – हानि पत्रक से | 4289927.58 | |
| | 13 | | जमा शेष केडिड बेलेंस अन्य | | 5424131.82 |
| 0.00 | | (i) | केडिड बेलेंस इन लोन खाता | 0.00 | |
| 0.00 | | (ii) | बैंक गारंटी इश्यू | 1380000.00 | |
| 4021247.41 | | (iii) | आर बी आई डीफ अकाउंट पेयवल राशि कान्टा | 4044131.82 | |
| **211388054.73** | | | योग | | **225193678.41** |

वास्तें : – श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

| हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– |
|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष/संचालक | संचालक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | अंकेक्षक अधिकारी |

# श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल
## 134 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल
## लाभ - हानि पत्रक वर्ष 2021-22

| राशि 31.03.2021 | आय का विवरण | जमा | नामे | राशि 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **01. अर्जित आय** | | | | 14285874.80 |
| 1456180.00 | अर्जित ब्याज ऋण खातों पर | 4060167.00 | 0.00 | 4060167.00 | |
| 3577091.26 | अर्जित ब्याज निवेश खातों पर | 25347570.80 | 18644013.00 | 6703557.80 | |
| 3393191.67 | अर्जित ब्याज निवश सरकारी प्रतिभुति पर | 3522150.00 | 0.00 | 3522150.00 | |
| | **02. प्राप्त कमीशन एवं एक्सचेंज** | | | | 2000.00 |
| 218.00 | कमीशन प्राप्त | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |
| 0.00 | सर्विस चार्ज प्राप्त | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| 0.00 | **03. प्राप्त आय नोन बैंकिंग संपत्ति से** | | | | |
| | अन्य संपत्ति से आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **04. अन्य आय प्राप्त** | | | | 262934.42 |
| 35486.80 | विविध आय / मिनिमम बैलेश | 42848.66 | 0.00 | 42848.66 | |
| 0.00 | अपैक्स बैकं चंदा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | त्रैमासिक चार्जेस आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168679.47 | जनरल चार्जेस प्राप्त | 233655.22 | 13569.46 | 220085.76 | |
| 0.00 | अन्य आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **8630847.20** | योग | **33208391.68** | **18657582.46** | **14550809.22** | **14550809.22** |

वास्तें : – श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

| हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– |
|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष/संचालक | संचालक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | अंकेक्षक अधिकारी |

| राशि 31.03.2021 | व्यय का विवरण | नामे | जमा | राशि 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29882.09 | सम्पत्तियों पर ह्रास | 22701.68 | 0.00 | 22701.68 | 22701.68 |
| | **09. लेखन सामग्री एवं मुद्रण खर्च** | | | | 76341.17 |
| 51628.08 | प्रिंटिंग एवं मुद्रण व्यय | 63781.17 | 1640.00 | 62141.17 | |
| 267392.00 | विज्ञापन व्यय | 14200.00 | 0.00 | 14200.00 | |
| | **10. अन्य व्यय** | | | | 686290.59 |
| 39822.00 | विविध व्यय/मिसलेनियस चार्जेस | 73773.76 | 5267.42 | 68506.34 | |
| 13527.50 | पानी व्यय | 23208.00 | 0.00 | 23208.00 | |
| 37396.00 | सुरक्षा व्यय | 49188.00 | 0.00 | 49188.00 | |
| 257324.00 | एडमिनिस्ट्रटिव व्यय | 243562.66 | 0.00 | 243562.66 | |
| 14010.00 | वाहन किराया व्यय | 18185.00 | 0.00 | 18185.00 | |
| 9099.37 | बैंक चार्जेस व्यय | 19850.64 | 1126.24 | 18724.40 | |
| 0.00 | अखवार व्यय | 4175.00 | 156.00 | 4019.00 | |
| 16258.96 | सुधार एवं मरम्मत व्यय | 60897.19 | 0.00 | 60897.19 | |
| 0.00 | रेवेन्यू खर्चे | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | |
| 0.00 | इनलिजीयेवल आइ. टी. सी . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **11. निधियां एवं प्रावधान बनायें** | | | | |
| 0.00 | भवन निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225000.00 |
| 0.00 | डूबत एवं संधिग्ध ऋण कोष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | प्रोविजन/ प्रावधान | 225000.00 | 0.00 | 225000.00 | |
| | **12. लाभ– हानि खाता** | | | | 4289927.58 |
| 2262708.20 | वर्ष 2020–21 का लाभ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | वर्ष 2021–22 का लाभ | 4289927.58 | | 4289927.58 | |
| **8630847.20** | **योग** | **15952322.88** | **1401513.66** | **14550809.22** | **14550809.22** |

वास्ते : – श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

| हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– |
|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष/संचालक | संचालक | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | अंकेक्षक अधिकारी |

# श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

## अंकेक्षक प्रमाण पत्र

मैं, मेसर्स सोनपाल एण्ड जैन (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करती हूँ कि मैने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल; पंजीयन क्रमांक सं.पं. 06/99 दिनांक 06/01/1999 का, अलौच्य वर्ष 2021–22 का अंकेक्षण पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित निर्देशित प्रणाली से पूर्ण किया गया है । बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है।

मैंने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक का परीक्षण संबंधित लेखाओं से किया।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि :–

01. मेरे मत से बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व ईमानदारी से बैंक के उपनियमों, सहकारी विधान की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाए गये नियम, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धाराएं ;जोकि सहकारी बैंकों के लिये लागू होती है के अनुसार हैं, व पाई गई त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण टीप में है।
02. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इसमें सभी आवश्यक जानकारियॉं जो कि बैंक के व्यवहार और स्थिति को दर्शाती है, का समावेश भी किया गया है। मुझे जो जानकारी बैंक स्थिति के संबंध में बतलाई गई तथा जो जानकारी बैंक के लेखा खातों में दर्शाई गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।
03. मुझे अंकेक्षण के दौरान किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण की जब भी आवश्यकता पड़ी समय–समय पर बैंक से प्राप्त हुई तथा मेरे संतोष के अनुसार हैं।
04. बैंक के व्यवहार जो भी मेरी जानकारी में आए सभी बैंक की कार्य सीमा में किये गये हैं।
05. बैंक का लाभ हानि पत्रक प्रस्तुत टीप के अधीन पाये गये आक्षेपों के तारतम्य में सही विवरण प्रस्तुत करता है।
06. मेरे मत से बैंक के स्थिति विवरण पत्रक व लाभ–हानि पत्रक प्रस्तुत टीप में नियमानुसार बनाए गए हैं ।
07. बैंक में हिसाब व खाते नियमों, उपनियमों की आवश्यकतानुसार रखे गये हैं। ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाते बहियों, जिनके आधार पर पत्रक तैयार किये गये हैं, की सूची बैंक में उपलब्ध है।
08. अतः मैं बैंक को पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसौटी पत्र के मानदण्ड के आधार पर मूल्यांकन करके वर्ष 2021–22 के अंकेक्षण में बैंक को ''ब'' वर्ग में वर्गीकृत करती हूँ।

भोपाल
दिनांक

मेसर्स सोनपाल एंड जैन
सनदी लेखापाल
फर्म रजि. नं. 007953 सी
हस्ता/–
सुदीप एम कोटस्थाने
पार्टनर
में.नं. 079069

# श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

## 134 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल

# कार्यशील स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2021–22

| दायित्व | दिनांक 31.03.2021 | जमा | योग | नामें | दिनांक 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| अंश पूंजी | | | | | |
| अंश पूंजी | 4824600.00 | 1,113,200.00 | 5,937,800.00 | 0.00 | 5,937,800.00 |
| रक्षित एवं अन्य निधियां | | | | | |
| रक्षित निधि | 43197476.12 | 2188691.20 | 45,386,167.32 | 0.00 | 45,386,167.32 |
| भवन निधि | 14773580.00 | 565000.00 | 15,338,580.00 | 0.00 | 15,338,580.00 |
| विनियोग ह्रास निधि आई डी आर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मानक अस्तियों पर प्रावधान | 87000.00 | 175000.00 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| निवेश पर उतार चडाव प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कर्मचारी कल्याण निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डूबत एवं संदिग्ध ऋण कोष | 463628.00 | 0.00 | 463,628.00 | 0.00 | 463,628.00 |
| मूल्स ह्रास निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आकस्मिक दायित्व प्रावधान | 2000000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| बैंक में जमा निवेश | | | | | |
| सावधी जमा खातें | 488579.00 | 532692.00 | 1,021,271.00 | 492435.00 | 528,836.00 |
| सावधी जमा सोसायटी खातें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सावधी जमा सीनियर सीटिजन खातें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डबल सावधी जमा खातें | 115442421.00 | 187882083.00 | 303,324,504.00 | 207082887.00 | 96,241,617.00 |
| डबल सावधी जमा सोसायटी खातें | 119679.00 | 8915.00 | 128,594.00 | 0.00 | 128,594.00 |
| डबल सावधी जमा सीनियर सी. टिजन खातें | 1400199.00 | 1425604.00 | 2,825,803.00 | 131631.00 | 2,694,172.00 |
| सावधी जमा खातें मासिक ब्याज पर | 2060000.00 | 2060000.00 | 4,120,000.00 | 2060000.00 | 2,060,000.00 |
| परिपक्व डबल सावधी जमा सीनियर सीटिजन खातें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आवर्ती जमा खातें | 50600.00 | 102887.00 | 153,487.00 | 126,904.00 | 26,583.00 |
| परिपक्व आवर्ती जमा खातें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बचत जमा खातें | 2720214.30 | 113834246.83 | 116,554,461.13 | 109306080.16 | 7,248,380.97 |
| बचत सोसायटी जमा खातें | 841656.64 | 10761546.90 | 11,603,203.54 | 10389081.40 | 1,214,122.14 |
| चालू जमा खातें | 16012980.11 | 1394780884.00 | 1,410,793,864.11 | 1375497419.44 | 35,296,444.67 |
| चालू सोसायटी जमा खातें | 11426.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 11,426.00 |
| डेली डिपोजिट जमा खातें | 1000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **योग** | **204495039.17** | **1,715,430,749.93** | **1,919,925,789.10** | **1,705,086,438.00** | **214,839,351.10** |
| उधार अन्य बैंक से | | | | | |
| भोपाल का–ऑपरेटिव सेन्टल बैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिल फोर कलेक्शन | | | | | |
| जावक बिल कान्टा इन्टी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| संपत्ति पक्ष | दिनांक 31.03.2021 | नामें | योग | जमा | दिनांक 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| रोकड | 979101.00 | 121914831.00 | 122893932.00 | 121236378.00 | 1657554.00 |
| बैको में जमा राशि चालू खातें | | | | | |
| भोपाल कॉ– आपरेटिव सेन्टल बैंक एम.पी.नगर | 1354647.17 | 1800000.00 | 3154647.17 | 59.00 | 3154588.17 |
| भारतीय रिजर्व बैंक खाता भोपाल | 242131.62 | 1000000.00 | 1242131.62 | 0.00 | 1242131.62 |
| एम.पी.आर.एस. बी. बैंक एम.एस. भोपाल | 434978.03 | 0.00 | 434978.03 | 0.00 | 434978.03 |
| एम.पी.आर.एस. बी. बैंक चालू खाता भोपाल | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| आई.डी.बी.आई. बैंक भोपाल | 1203364.52 | 6774403.00 | 7977767.52 | 7725233.22 | 252534.30 |
| द श्यामराव विटठल बैंक लोंन खाता | 2585.00 | 1998305.00 | 2000890.00 | 2,000,890.00 | 0.00 |
| यूनियन बैक ऑफ इंडिया भोपाल | 1630416.67 | 3146000.00 | 4776416.67 | 3509762.14 | 1266654.53 |
| दि श्यामराव विटठल बैंक चालू खाता | 205384.26 | 22430041.00 | 22635425.26 | 22,390,704.00 | 244721.26 |
| येस बैंक लिमिटेड क्लीयरिंग खाता–72 | 53614227.08 | 413078820.31 | 466693047.39 | 449962154.39 | 16730893.00 |
| येस बैंक लिमिटेड 52 आरटी.जीएस खाता | 5860783.99 | 898105067.05 | 903965851.04 | 897058382.06 | 6907468.98 |
| एच डी. एफ. सी. बैंक | 20177.30 | 4597290.00 | 4617467.30 | 4600005.90 | 17461.40 |
| सावधी जमा खातें | | | | | |
| भोपाल कॉ– आपरेटिव सेन्टल बैंक एम. पी.नगर सीएडीए आर | 3000000.00 | 3195000.00 | 6195000.00 | 3,000,000.00 | 3195000.00 |
| एम.पी.आर.एस. बी. बैंक एम.पी.नगर भोपाल | 799191.00 | 0.00 | 799191.00 | 0.00 | 799191.00 |
| आई.डी.बी.आई. बैंक भोपाल | 2643804.00 | 0.00 | 2643804.00 | 2643804.00 | 0.00 |
| एच डी. एफ. सी. बैंक | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 | 4000000.00 | 0.00 |
| दि श्यामराव विटठल कॉ– आपरेटिव बैंक | 6797980.00 | 4572965.00 | 11370945.00 | 11370945.00 | 0.00 |
| एयू स्माल फायनेंस बैंक भोपाल | 4976215.00 | 6000000.00 | 10976215.00 | 5976215.00 | 5000000.00 |
| जना स्माल फायनेंस बैंक भोपाल | 5500000.00 | 7500000.00 | 13000000.00 | 7500000.00 | 5500000.00 |
| येस बैंक लिमिटेड एम.पी.नगर भोपाल | 23500000.00 | 83500000.00 | 107000000.00 | 92000000.00 | 15000000.00 |
| फिनकेयर स्माल फायनेंस बैंक भोपाल | 4500000.00 | 0.00 | 4500000.00 | 4500000.00 | 0.00 |
| ईसाफ स्माल फायनेंस बैंक भोपाल | 4366550.00 | 2852824.00 | 7219374.00 | 2689046.00 | 4530328.00 |
| यूनियन बैक ऑफ इंडिया भोपाल | 2500000.00 | 2621881.00 | 5121881.00 | 2500000.00 | 2621881.00 |
| आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक भोपाल | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
| ईक्वीटास स्माल फायनेंस बैंक भोपाल | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
| इन्डसंड बैंक भोपाल | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 |
| मांग पर पैसा | | | | | |
| शार्ट टर्म इन्वेस्टमेंट | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| इन्वेस्टमेंट इन गर्वमेंट सिक्युरिटी | 49944850.00 | 0.00 | 49944850.00 | 0.00 | 49944850.00 |
| मनी एंड काल शोर्ट इन्वेस्टमेंट | 5000000.00 | 26000000.00 | 31000000.00 | 28500000.00 | 2500000.00 |
| अंश कॉ–ऑपरेटिव इन्स्टीटयूशन | | | | | |
| नियम पांच के नीचे | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| भोपाल कॉ– आपरेटिव सेन्टल बैंक एम.पी.नगर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| दायित्व | दिनांक 31.03.2021 | जमा | योग | नामें | दिनांक 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| शाखा समायोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अतिदेय ब्याज रिजर्व | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **देय ब्याज** | | | | | |
| सावधी जमा पर देय ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आवर्ती जमा पर देय ब्याज | 2284.00 | 0.00 | 2,284.00 | 0.00 | 2,284.00 |
| डबल डिपोजिट सावधी जमा पर देय ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डबल डिपोजिट सावधी सिनियर सिटीजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डबल डिपोजिट सावधी सोसायटी पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इन्टरैस्ट पेयबल आन फिक्स डिपो. जिट | 15743.02 | 182,626.00 | 198,369.02 | 151,888.00 | 46,481.02 |
| **अन्य दायित्व** | | | | | |
| आर बी. आई डीफ अकाउंट | 4021247.41 | 22884.41 | 4,044,131.82 | 0.00 | 4,044,131.82 |
| बैंकर चेक पेयबल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| स्टैल डी.डी पेयबल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अंकेक्षण शुल्क पेयबल | 0.00 | 50000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| विविध जमा खाता | 0.00 | 65159.00 | 65,159.00 | 65159.00 | 0.00 |
| स्टैल चेक पेयबल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डी. डी. पेयबल आई.डी.बी.आई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| टी.डी.एस. सिक्युरिटी चार्जेस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सन्डी डिपोजिट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| टी.डी.एस. पेयवल ऑन एफडीआर | 89995.00 | 601586.00 | 691,581.00 | 561720.00 | 129,861.00 |
| एस.जी.एस.टी. पंयबल एम. पी. | 18512.25 | 24965.40 | 43,477.65 | 4.50 | 43,473.15 |
| सी.जी.एस.टी. पेंयबल एम.पी. | 18450.29 | 24965.40 | 43,415.69 | 4.50 | 43,411.19 |
| आई.जी.एस.टी. पेंयबल एम.पी. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जी.एस.टी. पेंयबल एम.पी. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सर्विस टैक्स पेसवल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिल पेयबल अप टु मार्च | 20000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| बैंक गारंटी इश्यू कान्टा | 0.00 | 1380000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 1,380,000.00 |
| पेय आर्डर इशू | 61275.39 | 64608628.67 | 64,669,904.06 | 64365146.51 | 304,757.55 |
| ऐरियर्स ऑफ रेंट | 382800.00 | 0.00 | 382,800.00 | 382,800.00 | 0.00 |
| **शुद्व लाभ 2020–21** | 2262708.20 | 4,289,927.58 | 6,552,635.78 | 2262708.20 | 4,289,927.58 |
| कैश केडिड लोन के विरूद्ध | | | | | |
| **योग** | 211,388,054.73 | 1,786,681,492.39 | 1,998,069,547.12 | 1,772,875,868.71 | 225,193,678.41 |

वास्तें : – श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

| हस्ता/– अध्यक्ष | हस्ता/– उपाध्यक्ष/संचालक | हस्ता/– संचालक | हस्ता/– मुख्य कार्यपालन अधिकारी | हस्ता/– अंकेक्षक अधिकारी |
|---|---|---|---|---|

| संपत्ति पक्ष | दिनांक 31.03.2021 | नामें | योग | जमा | दिनांक 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ऋण एवं अग्रिम अल्पकालीन** | | | | | |
| एल.आइ.सी/एन.एस.सी.के विरूद्व ऋण | 150838.00 | 15497.00 | 166335.00 | 59784.00 | 106551.00 |
| सी.सी. लिमीट सावधी जमा के विरूध | 2343685.60 | 45047686.00 | 47391371.60 | 39,087,707.00 | 8303664.60 |
| ओवरडाप्ट मोर्टगेज ऋण/सी.सी. | 5767246.26 | 26301530.00 | 32068776.26 | 19,643,280.50 | 12425495.76 |
| सी.सी. लिमीट अगेंस्ट एल.आइ.सी | 291934.10 | 1336336.52 | 1628270.62 | 619,630.00 | 1008640.62 |
| कन्जूमर डयूरेबल ऋण | 205501.84 | 1075044.00 | 1280545.84 | 632264.15 | 648281.69 |
| व्यापार ऋण | 0.00 | 2040438.00 | 2040438.00 | 78,445.00 | 1961993.00 |
| **ऋण एवं अग्रिम दीर्घकालीन** | | | | | |
| मोर्टगेज टर्म लोन | 0.00 | 37216096.00 | 37216096.00 | 1641706.00 | 35574390.00 |
| ग्रह ऋण | 2479322.52 | 27295331.00 | 29774653.52 | 4,651,797.00 | 25122856.52 |
| वाहन ऋण | 1845570.98 | 5155402.80 | 7000973.78 | 1,579,487.18 | 5421486.60 |
| शिक्षा ऋण | 50976.97 | 6030.00 | 57006.97 | 7,100.00 | 49906.97 |
| पर्सनल ऋण | 19390.71 | 1066571.39 | 1085962.10 | 157407.10 | 928555.00 |
| **अर्जित ब्याज की राशि** | | | | | |
| सावधी जमा खातें | 3335286.00 | 17639162.00 | 20974448.00 | 18644013.00 | 2330435.00 |
| पर्सनल ऋण खातों से | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य ऋण खातों अस्थायी ओवरडाप्ट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **बिल फोर कलेक्शन** | | | | | |
| **शाखा समायोजन** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इन्टरेस्ट रिसियबेबल कान्टा इन्टी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **फर्नीचर एवं फिक्चर** | | | | | |
| फर्नीचर एवं फिक्चर | 88552.04 | 0.00 | 88552.04 | 12093.20 | 76458.84 |
| ऐअर कन्डीशन | 12040.32 | 1806.05 | 13846.37 | 1806.05 | 12040.32 |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | 21216.97 | 0.00 | 21216.97 | 10608.48 | 10608.49 |
| **अन्य संपत्ति** | | | | | |
| एडवांश जमा टेलिफोन | 6279.43 | 0.00 | 6279.43 | 0.00 | 6279.43 |
| पुस्तकालय | 7016.00 | 0.00 | 7016.00 | 0.00 | 7016.00 |
| स्टैशनरी एवं स्टैंप स्टाक | 48754.00 | 0.00 | 48754.00 | 3330.00 | 45424.00 |
| अगिम सुरक्षा निधि विजली | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
| अगिम सुरक्षा निधि गैस कनेक्शन | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| एस. जी. एस. टी. एम.पी. पेड | 15311.37 | 22275.05 | 37586.42 | 4,577.13 | 33009.29 |
| सी. जी. एस. टी. एम.पी. पेड | 15338.38 | 22275.05 | 37613.43 | 4,577.02 | 33036.41 |
| जी. एस. टी. एम.पी. पेड | 1121.88 | 1410.13 | 2532.01 | 0.00 | 2532.01 |
| आई जी. एस. टी पेड | 46168.50 | 59599.16 | 105767.66 | 15,250.91 | 90516.75 |
| जी. एस. टी. पेयवल | 14161.00 | 4482.00 | 18643.00 | 0.00 | 18643.00 |
| उंचत खाता / संस्पेंस अकांउट | 9507.81 | 31101.00 | 40608.81 | 40,608.81 | 0.00 |
| स्टैंम / अधेसिव खाता | 0.00 | 58290.00 | 58290.00 | 22000.00 | 36290.00 |
| आर बी. आई डीफ अकाउंट | 4021247.41 | 22884.41 | 4044131.82 | 0.00 | 4044131.82 |
| बैंक गारंटी इश्यू कान्टा | 0.00 | 1380000.00 | 1380000.00 | 0.00 | 1380000.00 |
| अग्रिम आयकर 2019–20 | 0.00 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | 0.00 |
| लाभ– हानि खाता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | 211388054.73 | 1777486674.92 | 1988874729.65 | 1763681051.24 | 225193678.41 |

वास्तें : – श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

| हस्ता/– अध्यक्ष | हस्ता/– उपाध्यक्ष/संचालक | हस्ता/– संचालक | हस्ता/– मुख्य कार्यपालन अधिकारी | हस्ता/– अंकेक्षक अधिकारी |
|---|---|---|---|---|

# वास्तविक मछुआरों को आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मछुआरों के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए प्रयास थमना नहीं चाहिए। प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य-संपदा उपलब्ध है। मत्स्याखेट से जुड़े पारंपरिक मछुआरों को आर्थिक लाभ के लिए निरंतर प्रयास किए जाएँ। उन्हें उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए उत्पादों की ब्रान्डिंग का कार्य भी किया जाए। प्रदेश में झींगा उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में हो रहा है। इसके विक्रय के लिए बाजार में बेहतर व्यवस्थाएँ और झींगा पालकों को उसका फायदा दिलाने के प्रयास किए जाएँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठकों के क्रम में मछुआ-कल्याण तथा मत्स्य-विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। जल संसाधन और मछुआ-कल्याण एवं मत्स्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत 29 मई को उनके मछुआरों से संवाद कार्यक्रम में मछुआरों को मत्स्य-पालन और मत्स्याखेट के लिए आवश्यक उपकरण, नवीन तकनीक से निर्मित जाल, आइस बॉक्स सहित मोटर साइकिल प्रदान की गई थी। इससे मछुआरों को अपने कार्य में आसानी के साथ आर्थिक लाभ मिल रहा है। शीघ्र ही भोपाल में राज्य-स्तरीय मछुआ पंचायत होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य मछली महाशीर के अलावा रोहू एवं अन्य लोकप्रिय मछली प्रजातियों को अन्य राज्यों के बाजारों तक पहुँचाने के प्रयास करने के निर्देश भी दिए।

### अपात्र सदस्यों को हटाया

जानकारी दी गई कि प्रदेश में मछुआरों के स्थान पर बाहरी लोगों द्वारा जलाशयों में प्रबंधन और मत्स्य-पालन पर रोक की कार्रवाई की गई है। कुल 1745 मत्स्य सहकारी समितियों की जाँच कर अपात्र लोगों को समितियों से बाहर किया गया है। प्रदेश में 14 हजार से अधिक अपात्र सदस्य निष्कासित किए गए हैं।

### मत्स्य-बीज और मत्स्य-उत्पादन दोनों बढ़े

बताया गया कि प्रदेश में वार्षिक मत्स्य-बीज उत्पादन 145 करोड़ मानक फ्राई से बढ़ा कर 200 करोड़ मानक फ्राई किए जाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास किए गए। वर्ष 2020-21 में मत्स्य-बीज उत्पादन में 148 करोड़ मानक फ्राई की उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2021-22 में 171 करोड़ मानक फ्राई की उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में जुलाई माह तक 103 करोड़ मानक फ्राई की उपलब्धि अर्जित कर ली गई है। इस वित्त वर्ष के अंत तक 200 करोड़ मानक फ्राई से अधिक उपलब्धि अर्जित करने का प्रयास है। प्रदेश का मत्स्य-उत्पादन जुलाई माह तक 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन हो चुका है। गत दो वर्षों में यह क्रमश: 2.48 लाख टन और 2.93 लाख टन था। वर्तमान वित्त वर्ष में यह उत्पादन लगभग साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन रहेगा।

## प्रबंध संचालक श्री रंजन ने संघ परिसर में किया ध्वजारोहण

भोपाल। प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने म.प्र. राज्य सहकारी संघ परिसर में ध्वजारोहण किया। प्रबंध संचालक ने संघ मुख्यालय तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारी-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें दी एवं संदेश दिया कि वर्तमान परिवेश में शासन सहकारिता को अग्रणीय स्थान पर स्थापित करने हेतु नवीन सहकारी नीति को लागू कर रहा है एवं ग्राम पंचायत स्तर पर औद्योगिक सहकारी संस्था, कृषि प्रसंस्करण, ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जिसमें राज्य संघ को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

## किसान भाई सब्जी एवं तिलहन फसलों की करें बोनी

**सतना :** उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास केसी अहिरवार ने किसानों को सलाह दी है कि इस वर्ष विलंब से बारिश हुई है। इस कारण से धान के फसल की बोनी एवं रोपाई प्रभावित हुई है। उन्होंने धान के फसल के स्थान पर सब्जी एवं तिलहन की फसलों को लेने की सलाह दी है।

उप संचालक ने किसानों से कहा है कि धान की बोनी एवं रोपाई न होने के कारण जो खेत खाली रह गये हैं उन खेतों में पत्तेदार एवं फलदार सब्जियां उगा सकते हैं।

## सेवा सहकारी समिति गौरगाँय में हुआ एक दिवसीय शिक्षा शिविर का आयोजन

**छतरपुर।** छतरपुर जिले की गौरगाँय सेवा सहकारी समिति में एक दिवसीय शिक्षा शिविर का आयोजन सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव द्वारा किया गया। नौगांव ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय ने बताया कि यह एक दिवसीय शिक्षा शिविर म.प्र. राज्य संघ भोपाल के निर्देशानुसार एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव के सहयोग से चलाया जा रहा है कैंप का मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थित सेवा सहकारी समितियों के किसानों को जागरूक कर शासन प्रशासन की नई-नई योजनाओं की जानकारी देना है वहीं कार्यक्रम की शुरूआत प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय एवं समिति प्रबंधक पूरनलाल पटेल ने मां सरस्वती की तस्वीर को फूल मालाएं अर्पित कर पूजा वंदना की इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भारी संख्या में ग्रामीण इलाकों से आए हुए किसानों को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव के प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय ने किसानों को सहकारिता का अर्थ एवं समिति के उद्देश्य, अधिकार, कर्तव्य मीटिंग एवं संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य आम सभा की जानकारी, सहकारी ऋण एवं वसूली के महत्व आदि की जानकारी कृषक भाइयों को दी और बताया कि जल्द ही और नई सोसाइटियां 34 प्रकार की नए क्षेत्रों में म.प्र. में बनाई जाएगी जिसका काम म.प्र. शासन एवं म.प्र. राज्य संघ द्वारा बहुत तेज गति से हर जिला स्तर पर किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण स्तर पर ही किसानों को स्वरोजगार मिलेगा और साथ ही बताया कि यह शिक्षा शिविर केंद्र नौगांव के प्राचार्य शिव कुमार गौतम के सहयोग से एवं मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है जो हमारा समय-समय पर मार्गदर्शन करते रहते है।

इस कार्यक्रम में पधारे छतरपुर डी.आर. ऑफिस से आडिटर यू.डी. पांचाल, सहकारी समिति के प्रबंधक पूरनलाल पटेल, केंद्र नौगांव के प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय, सहायक समिति प्रबंधक अखिलेश चतुर्वेदी, लेखापाल चंद्रप्रकाश पटेल, विक्रेता नारायण मिश्रा, रामपाल सिंह, राजपूत एवं ग्राम पंचायत गौरगाँय के सम्मानीय किसान भाई एवं पत्रकार साथी मौजूद रहे।

## नई समितियों के गठन पर हुआ मंथन

**छिंदवाडा।** शासन द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विस्तार को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो वही किसानों, महिलाओं सहित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहकारिता क्षेत्र से जोडने में तेजी से जुटी हुई है। ऐसे में अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी नए-नए क्षेत्रों में सहकारी समिति गठित करने के निर्देश दिया गया है। साथ ही नवाचार के भी निर्देश दिए गए है। जिसके तहत पिछले दिनों कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक ली गई थी। सहकारिता उपायुक्त कार्यालय में विकासखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सहकारिता निरीक्षक श्री आरिफ कुरैशी, श्री प्रवीण नसेरी,श्री पी. के. जैन, श्री बी. आर. सी. अशरफ अली, मत्स्य निरीक्षक, श्री मेश्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सहकारिता निरीक्षकों ने सहकारी समितियों के गठन और कामकाज की प्रक्रिया को समझाया गया। साथ किन-किन क्षेत्रों में समितियों का गठन किया जा सकता है। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई।

## परिवहन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने पर मंथन

**अलीराजपुर।** ग्रामीण, परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य आदि नए क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने, प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्रामीण औद्योगिक सहकारी समिति का गठन एवं पंजीयन किये जाने तथा कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवीन सहकारी समितियों के निर्माण को बढावा देने के संबंध में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक सह कार्यशाला हुई।

## 30 अगस्त तक अपने विभाग के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के पंजीयन प्रस्ताव कराएं- कलेक्टर

**रतलाम।** मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के परिपेक्ष्य में सहकारी आंदोलन के विस्तार के लिये जिले के नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन की पहचान कर उन्हें चिन्हित करने हेतु म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा गठित कौर कमेटी की बैठक कलेक्टोरेट सभागृह में कलेक्ट्रर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

## सहकारी आंदोलन के विकास एवं विस्तार संबंधी बैठक

**नरसिंहपुर :** सहकारी आंदोलन के विकास एवं विस्तार के उद्देश्य से जिले के विशिष्ट क्षेत्र, सेक्टर, नवीन क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सहकारी समितियों के गठन के लिए कलेक्टर श्री रोहित सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में कलेक्टर ने जिले की भौगोलिक संरचना, स्थानीय गतिविधियों, कृषि उपज की विशिष्टता और क्षेत्र विशेष को चिन्हित कर सहकारिता के माध्यम से नवीन सहकारी समितियों के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कोर ग्रुप के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र में उनके विभाग के अंतर्गत नवीन क्षेत्र की पहचान कर सहकारी समितियों के गठन के लिए आवश्यक कार्य करने और प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये।

उपायुक्त सहकारिता श्री जीएस डेहरिया ने शासन की सहकारिता नीति के अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण उद्योग समिति, कृषि क्षेत्र की प्रसंस्करण समिति, खनिज, पर्यटन, श्रम, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, परिवहन, सर्विस सेक्टर आदि के क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन करने के लिए कार्य योजना बनाने के बारे में जानकारी दी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।